पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 20 जुलाई, 2013 ई0 (आषाढ़ 29, 1935 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

अधिसूचना

15 अप्रैल, 2013 ई0

संख्या–एफ–9(21)/आरजी/यूईआरसी/2013/102 : विद्युत अधिनियम, 2003 की 181 (ZP) संपठित धारा 61(H), 86 (1) (E) के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थ्यधारी अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाते हैं–

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम व प्रारंभिक

(1) ये विनियम उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों तथा गैर जीवाश्म–ईंधन–आधारित सह–उत्पादक स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क एवं अन्य निबंधन) विनियम, 2013 कहलायेंगे।

[1]यह विनियम *दिनांक 20.04.2013 के सरकारी गजट में प्रकाशित* अंग्रेजी विनियम *का हिन्दी रूपान्तरण है। किसी भी तरह के निर्वचन (व्याख्या) के लिए अंग्रेजी विनियम अन्तिम मान्य होगा।*

(2) ये विनियम इनकी अधिसूचना की तिथि से प्रवृत्त होंगे तथा जब तक कि इससे पहले इनकी समीक्षा न हो या आयोग द्वारा विस्तारित न किये जायें, इनके प्रारम्भ होने की तिथि से 05 वर्ष की अवधि तक प्रवृत्त रहेंगे।

(3) इन विनियमों के प्रवृत्त होने पर उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (गैर परम्परागत व नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क एवं अन्य निबंधन) विनियम, 2010 निरसित हो जायेगा।

2. **लागू होने की परिधि एवं विस्तार**

(1) ये विनियम उन सभी मामलों में लागू करेंगे जिनमें उत्तराखण्ड राज्य के भीतर वितरण अनुज्ञापी का स्थानीय ग्रामीण स्रोतों को इन विनिमयों से प्रवृत्त होने के पश्चात् चालू हुए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह उत्पादन स्टेशनों से विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

बशर्ते, पवन, लघु जल विद्युत परियोजनाओं, रैनकिन चक पर आधारित बायोमास, गैर जीवाश्म ईंधन आधारित परियोजनाओं सह–उत्पादक स्टेशनों, सौर PV, सौर तापीय ऊर्जा परियोजनाओं, ग्रिड इन्टरेक्टिव रूफ टौप और लघु सौर PV संयंत्रों, बायोमास गैसीफायर तथा बायोगैस ऊर्जा परियोजना के मामलों में ये विनियम, इन विनिमयों के विनियम 4 में विनिर्दिष्ट योग्यता मानदंड को पूरा करने की शर्त पर लागू होंगे।

बशर्ते आगे यह कि अध्याय 4 एवं 5 के विनियमय इन विनिमयों के प्रभावी होने से पूर्व में कमीशन्ड उत्पादक स्टेशनों के लिए लागू नहीं होंगे तथा उनके वर्तमान शुल्कों का लागू रहना जारी रहेगा। तथापि, विनिमय 15 (1) (बी) में विनिर्दिष्ट सौर तापीय/PV उत्पाद स्टेशनों के लिए जेनेरेक शुल्क से, 12 पैसा/यूनिट अधिक के नौरमेटिव लेवलाईज्ड शुल्क का प्रावधान भी लागू रहेगा। अध्याय 4 और 5 के प्रावधानों को छोड़कर अन्य प्रावधान उत्तराखण्ड राज्य में स्थित ऐसे अन्य उत्पादक स्टेशनों पर लागू होंगे जो ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों पर आधारित हैं, इनमें ऐसे गैर जीवाश्म आधारित सह उत्पादन भी सम्मिलित हैं जो राज्य पारेषण और/या वितरण प्रणाली का उपभोग करते हुए वितरण अनुज्ञापी के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को विद्युत पारेषित और/या आपूर्ति करते हैं।

(2) वर्तमान परियोजनाएं, जो इस समय तृतीय पक्ष को ऊर्जा की आपूर्ति कर रहे है, के पास परियोजना की प्रारम्भ होने के समय लागू जेनेरिक शुल्कों पर वितरण अनुज्ञापी या स्थानीय ग्रामीण ग्रिड को आपूर्ति करने हेतु स्विच ओवर या आयोग से परियोजना विशिष्ट शुल्क के अवधारण की मांग करने का विकल्प रहेगा। यह विकल्प शेष बचे हुए अवधि हेतु केवल एक बार के चयन हेतु होगा।

(3) इन विनियमों के अधीन सौर PV और सौर तापीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए विनिर्दिष्ट सामान्य शुल्क, अधिकतम शुल्क होने तथा वितरण अनुज्ञापी, इन उत्पादकों/विकासकर्ताओं से ऊर्जा की अधिप्राप्ति हेतु उत्पादकों/विकासकर्ताओं से बोली आमंत्रित करेगा। वितरण अनुज्ञापी न्यूनतम शुल्क की बोली लगाने वाले उत्पादक/विकासकर्ता के साथ ऊर्जा कय करार करेगा।

(4) इन विनियमों के अधीन आयी उत्पादन ईकाईयॉं, उत्पादन कम्पनी की ईकाईयॉं समझी जायेंगी तथा विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन उत्पादक कंपनी को सौंपे गये सभी कार्य, दायित्व तथा कर्तव्य भार इन उत्पादन स्टेशनों पर लागू होंगे।

3. परिभाषाऐं–

(1) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो इन विनियमों में उपयोग किये गये शब्दों का निम्नलिखित अधिप्राय होगाः

(a) "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है;

(b) एक उत्पादन स्टेशन के मामले मे एक अवधि के संबंध में "अनुषंगी ऊर्जा उपभोग" या "ए. यू. एक्स" से उत्पादक स्टेशन के भीतर परिवर्तन हानियॉं तथा उत्पादक स्टेशन के अनुषंगी उपकरण द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा की मात्रा अभिप्रेत है। जिसे उत्पादक स्टेशन की सभी यूनिटों के उत्पादक टर्मिनल्स पर उत्पादित कुल ऊर्जा के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है;

(c) "बैंकिंग" से उस क्रिया का अभिप्राय है जिसके अधीन एक उत्पादक स्टेशन, ग्रिड को ऊर्जा की आपूर्ति किसी तृतीय पक्ष अथवा अनुज्ञापी को विक्रय के आशय से नही बल्कि अपने स्वयं के उपयोग हेतु ग्रिड से इस ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के अपने अधिकार के प्रयोग के आशय से करता है।

(d) "बायोमास" से कृषि तथा वानिकी परिचालनों के दौरान उत्पादित अपशिष्ट (उदाहरण के लिए भूसा, और डालियॉं) या कृषि उत्पादन के प्रसंस्करण परिचालन के उपोत्पाद के रूप में उत्पादित अपशिष्ट (जैसे भूसी, छिलके, तेल, निकाली हुई खली इत्यादि) समर्पित ऊर्जा बागानों में उत्पादित या जंगली झाड़ियॉं/खरपतवार से प्राप्त काष्ठ तथा कुछ औद्योगिक परिचालनों में उत्पादित काष्ठ अपशिष्ट अभिप्रेत है।

(e) "बायोगैस" से ऐसी अभिप्रेत है जो फसल–अवशेषों मल और खाद जैसे जैविक पदार्थों की एक आक्सीजन राहित वातावरण में टूटन (सड़ने) से उत्पन्न होती है;

(f) "क्षमता उपयोग कारक" से उस अवधि के मानकीय अनुषंगी उपयोग द्वारा कम हुई संस्थापित क्षमता के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त अवधि के दौरान प्रेषित कुल ऊर्जा अभिप्रेत होगी।

$$\text{CUF} = \frac{ESO \times 10^7}{\text{IC} \times (100\text{-AUX}) \times \text{H}} \%$$

जबकि

ESO = अवधि के दौरान एम.यू. में एक्स–बस, अर्थात अन्तः संबंध बिन्दु पर प्रेषित ऊर्जा।
IC= संस्थापित क्षमता मेगावाट में
AUX= मानकीय अनुषांगिक उपभोग (अर्थात सह–उत्पादन हेतु 8.5)
H =अवधि में घंटों की संख्या

(g) "पूँजी लागत" से अभिप्राय इन विनियमों के विनियम 15 (1) के अधीन परिभाषित रूप मे पूँजी लागत से है।

(h) "कैप्टिव उत्पादन संयंत्र" से अभिप्राय किसी व्यक्ति द्वारा स्थापित ऊर्जा संयंत्र से मुख्यतः स्वयं के उपभोग हेतु विद्युत उत्पादन से है। किसी व्यक्ति द्वारा तथा इसमे सहकारी समिति या संगठन के सदस्यों के उपयोग हेतु विद्युत उत्पादन के लिए किसी सहकारी समिति या संगठन या व्यक्तियों द्वारा स्थापित ऊर्जा संयंत्र सम्मिलित है जहां स्वामित्व का न्यूनतम छब्बीस प्रतिशत, कैप्टिव उपयोग कर्त्ताओं के पास हो तथा वार्षिक आधार पर अवधारित ऐसे संयंत्र में उत्पादित कुल विद्युत का न्यूनतम 51 प्रतिशत कैप्टिव उपयोग हेतु उपभोग किया जाता है।

(i) "कैप्टिव उपयोग कर्ता" से प्राथमिक रूप से अपने स्वयं के उपयोग हेतु कैप्टिव उत्पादन संयंत्र में उत्पादित विद्युत का अंतिम उपभोक्ताा अभिप्रेत है तथा "कैप्टिव उपयोग" शब्द का तदनुसार अर्थ लगाया जायेगा।

(j) "आयोग" से उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग अभिप्रेत है;

(k) "नियन्त्रण अवधि या समीक्षा अवधि" से वह अवधि अभिप्रेत है जिसमे इन विनियमों के विनिर्दिष्ट शुल्क के अवधारण हेतु मानक वैध रहेंगे;

(l) एक यूनिट के संबंध में "वाणिज्यिक परिचालन या स्थापना की तिथि (CoD)" उत्पादक द्वारा घोषित उस तिथि तक सफल ट्रायल रन के द्वारा अधिकतम निरन्तर रेटिंग प्राप्त करने पर घोषित तिथि से है तथा उत्पादक स्टेशन के संबंध मे वाणिज्यिक परिचालन की तिथि अंतिम यूनिट या उत्पादन स्टेशन के ब्लॉक के वाणिज्यिक परिचालन की तिथि अभिप्रेत है तथा प्रवर्तन पद का तदनुसार अर्थ लगाया जायेगा। तथापि लद्यु हायड्रो संयंत्र के मामले में प्रवर्तन में लाने की तिथि को अधिकतम निरंतर रेटिंग प्राप्ति से नहीं जोड़ा जायेगा, किन्तु उत्पादक को इसे प्रवर्तन से तीन वर्ष के भीतर प्रदर्शित करना होगा।

(m) "वितरण संहिता" से विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 181 और वितरण तथा खुदरा व्यापार लाइसेंस के खण्ड 18 के साथ पठित उक्त अधिनियम 14 के अधीन विनिर्दिष्ट उविनिआ (वितरण संहिता) विनियम, 2007 अभिप्रेत है।

(n) "उपगत व्यय" से वे निधि, चाहे वे इक्विटी, डैट या दोनों हों अभिप्रेत है जिनका एक उपयोग परिसम्पत्ति के सृजन अथवा प्राप्ति हेतु नकद या नकदी में बराबर परिनियोजन या भुगतान किया गया है। तथा इनमे ऐसे प्रतिबद्धताऐं या देयताएं सम्मिलित नहीं हैं जिसके लिये भुगतान नही किया गया हो।

(o) "अपरिहार्य घटना" से किसी पक्ष के संबंध में हुई ऐसी घटना या परिस्थिति अभिप्रेत है जो उस पक्ष के युक्तियुक्त नियंत्रण के भीतर नहीं है या उस पक्ष के किसी ऐसी कृत्य या लोप के कारण है जिसे वह पक्ष युक्तियुक्त परवाह और परिश्रम से पूर्वगामी:

(i) आकाशीय बिजली; भूकम्प, बाढ, प्राकृतिक आपदा और प्राकृतिक प्रकोप;

(ii) लोक शत्रु के कार्य, नाकेबंदी, बगावत, बलवे, क्रांति, तोड़ फोड़ ;

(iii) अपरिहार्य दुर्घटना जिसमें, आग धमाका रेडियों धर्मी प्रदूषण तथा हानिकारक रसायन प्रदूषण सम्मिलित है, एवं अन्य;

(p) "कुल उष्मक मूल्य" या "जी सी वी" से उत्पादन स्टेशन मे उपयोग किये जाने वाले ईधन के संबंध में यथास्थिति एक किलो ग्राम ठोस ईधन, या एक लीटर तरल ईधन या एक घन मीटर गैसीय ईधन के पूर्ण दहन द्वारा kCal में उत्पादित ताप अभिप्रेत है;

(q) "कुल स्टेशन ताप दर या" GSHR से ताप उत्पादन स्टेशन के उत्पादन केन्द्रों पर विद्युतीय ऊर्जा के एक kWh उत्पादित करने हेतु किलो कैलोरी में ताप ऊर्जा आगत अभिप्रत है;

(r) "संकर सौर्य ताप ऊर्जा संयंत्र" से ऐसा सौर्य ताप ऊर्जा संयंत्र अभिप्रेत है जो विद्युत उत्पादन के लिए सौर्य ताप ऊर्जा के साथ ऊर्जा आगत (इनपुट) स्त्रोंतों के अन्य स्वरूपों का उपयोग करता है तथा जिसमे न्यूनतम 75 प्रतिशत विद्युत सौर्य ऊर्जा घटक द्वारा उत्पादित की जाती है।

(s) "भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता" (IEGC) से अधिनियम की धारा 79 की उपधारा (1) के खण्ड (H) के अधीन केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट ग्रिड संहिता अभिप्रेत है;

(t) "अशक्त ऊर्जा" से अभिप्राय उत्पादन स्टेशन की यूनिट के वाणिज्यिक परिचालन से पूर्व परीक्षण चालन के दौरान उत्पादित विद्युत से है;

(u) "संस्थापित क्षमता" या "IC" से उत्पादन स्टेशन में यूनिटों की नेमप्लेट क्षमता या उत्पादन स्टेशन की क्षमता (उत्पादन टर्मिनल्स पर गिनी गई) का आकलन अभिप्रेत है;

(v) "अन्तः संयोजन बिन्दु" से पारेषण प्रणाली या वितरण प्रणाली के साथ नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन सुविधा का उभयनिष्ठ बिन्दु अभिप्रेत होगा जो कि जनेरेटर ट्रांसफार्मर की HV और पर आउट गोईग पोषक पर लाईन आइसोलेटर होगा;

(w) "MNRE" से भारत सरकार का नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय अभिप्रेत है।

(x) "गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सहउत्पादन" से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसमें ऊर्जा से एक से अधिक स्वरूप (जैसे वाष्प तथा विद्युत) बायोमास के उपयोग द्वारा अनुक्रमणीय तरीके से उत्पादित किये जाते है। बशर्ते कि परियोजना विनियम 4 (2) (ई) में विनिर्दिष्ट रूप में योग्यता मानदण्ड पूरा करने पर एक सह–उत्पादन परियोजना हेतु येाग्यता को पूर्ण करे।

(y) "अन्मुक्त अभिगमन" से आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट विनियमों के अनुरूप उत्पादन में संलग्न किसी अनुज्ञापी या उपभोक्ता या व्यक्ति द्वारा ऐसी लाईनों या प्रणाली के साथ सम्मिलित सुविधाओं या वितरण प्रणाली या पारेषण लाईनों के उपयोग हेतु भेदभाव रहित उपबंध अभिप्रेत है;

(z) "उन्मुक्त अभिगमन विनियम" से समय–समय पर संशेाधित रूप मे उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (राज्य में उन्मुक्त अभिगमन हेतु निबंधन–एवं शर्तें) विनियम, 2004 अभिप्रेत है;

(aa) "परिचालन एंव अनुरक्षण व्यय" या ओ एंड एम व्यय" से उत्पादन स्टेशन या उसके किसी भाग के परिचालन तथा अनुरक्षण में हुए व्यय अभिप्रेत है, इसमें जन शक्ति, मरम्मत, पुर्जे उपभोज्य, बीमा तथा उपरिव्यय के व्यय सम्मिलित है;

(bb) "अधिकतम व्यस्त समय/कम व्यस्त समय" Peak Hours /off Peak Hours से समय–समय पर आयोग द्वारा निर्णीत रूप मे दिन का विशेष समय अभिप्रेत है;

(cc) "ऊर्जा क्रय करार या पी पी ए" से करार में विनिर्दिष्ट निबंधनों एंव शर्तो पर ऊर्जा की आपूर्ति हेतु उत्पादक कंपनी तथा वितरण अनुज्ञापी के मध्य ऐसा करार अभिप्रेत है, जिसमे यह उपबंध है कि ऊर्जा के विक्रय हेतु शुल्क समय–समय पर आयोग द्वारा अवधारित किया जायेगा;

(dd) "परियोजना" से एक उत्पादन स्टेशन तथा अन्तः संबंध तथा निष्क्रमण प्रणाली, यथास्थिति, अभिप्रेत है तथा एक लघु हायड्रो उत्पादन स्टेशन के मामले में इसमे उत्पादन सुविधा के सभी अवयव सम्मिलित है। जैसे कि ऊर्जा उत्पादन हेतु प्रभाजित बांध, जल संचालक प्रणाली का ग्रहण, ऊर्जा उत्पादन स्टेशन तथा योजना की उत्पादक ईकाईयां;

(ee) "नवीकरणीय ऊर्जा" से नवीकरणीय स्त्रोंतों से उत्पादित ग्रिड गुणवत्ता विद्युत अभिप्रेत है।

(ff) "नवीकरणीय ऊर्जा" आधारित उत्पादन स्टेशन तथा गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह उत्पादन स्टेशन" से नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोंतो से ग्रिड गुणवत्ता विद्युत उत्पादन करने वाले परम्परागत उत्पादन स्टेशनों से अन्य ऊर्जा संयंत्र अभिप्रेत है।

(gg) "नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों" से नवीकरणीय स्रोत अभिप्रेत है जैसे लघु हायड्रो, पवन सौर्य इनमे संयुक्त चक्र बायोमास, बायो ईंधन सह उत्पादन के साथ समाकलन शहरी व नगरीय अपशिष्ट तथा MNRE द्वारा अनुमोदित अन्य स्त्रोत सम्मिलित है।

(hh) "लघु हायड्रो संयंत्र से 25 MW तक तथा इसके सहित संस्थापित क्षमता के साथ हायड्रो ऊर्जा परियोजनाएं अभिप्रेत है।

(ii) "सौर्य फोटो–वोल्टेइक ऊर्जा परियोजना" से ऐसी परियोजना अभिप्रेत है जो फोटो वोल्टेइक प्रौधोगिकी के माध्यम से विद्युत में प्रत्यक्ष परिवर्तन के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करती है।

(jj) "सौर्य ताप ऊर्जा परियोजना" से ऐसी परियेाजना अभिप्रेत है जो या तो लाईन फोकस या बिन्दु फोकस सिद्वान्त पर आधारित केन्द्रित सौर्य ऊर्जा प्रौद्योगिकी के माध्यम से विद्युत में परिवर्तन के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करती है।

(kk) "विक्रय योग्य ऊर्जा" से गृह राज्य को निःशुल्क ऊर्जा देने के पश्चात यदि कुछ शेष है, वह विक्रय (ex-bus) हेतु उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा अभिप्रेत है;

(ll) "राज्य ग्रिड संहिता" से उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 86 की उपधारा (1) के खण्ड (H) के अधीन विनिर्दिष्ट उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (राज्य ग्रिड संहिता) विनियम, 2007 अभिप्रेत है;

(mm) "शुल्क अवधि से यह अवधि अभिप्रेत है, जिसके लिए इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट मानको के आधार पर आयोग द्वारा शुल्क अवधारित किया जाना है;

(nn) "निष्क्रमण प्रणाली सहित एक उत्पादन स्टेशन की एक यूनिट के संबंध में" उपयोगी जीवन" से ऐसी उत्पादन सुविधा के वाणिज्यिक परिचालक (सी ओ डी) की तिथि निम्नलिखित अवधि अभिप्रेत होगीः—

(i)	पवन विद्युत ऊर्जा परियोजना	25 वर्ष
(ii)	रेनकिन चक्र प्रौधोगिकी के साथ बायो मास ऊर्जा परियोजना	20 वर्ष
(iii)	गैर जीवाश्म ईंधन सह–उत्पादन परियोजना	20 वर्ष
(iv)	लघु हायड्रो संयंत्र	35 वर्ष
(v)	सौर PV/सौर तापीय/ग्रिड इन्टरेक्टिव रूफ टौप और लघु सौर PV संयंत्र	25 वर्ष
(vi)	बायो मास गैसीफायर आधारित ऊर्जा परियोजना	20 वर्ष
(vii)	बायो गैस आधारित ऊर्जा परियोजना	20 वर्ष

(oo) "वर्ष" से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है।

(2) पूर्वोक्त को छोड़कर तथा जब तक संदर्भ के विरूद्ध न हो या विषय वस्तु से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में प्रयुक्त शब्द व पद जो यहाँ परिभाषित नहीं किये गये है किन्तु अधिनियम या उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (राज्य ग्रिड संहिता) विनियम या शुल्क के अवधारण पर आयोग के विनियमों में परिभाषित किये गयें हैं उनका वही अर्थ हागा जो अधिनियम या राज्य ग्रिड संहिता या शुल्क के अवधारण पर आयोग के विनियमों में क्रमशः नियत किया गया है।

अध्याय –2

सामान्य शर्ते

4. **गैर परंपरागत/नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत पर आधारित उत्पादन स्टेशन के रूप मे अर्ह होने हेतु योग्यता मानदण्ड**

(1) इन विनियमो के उद्देश्य हेतु नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) भारत सरकार अनुमोदित सभी प्रकार के नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों तथा गैर जीवश्म ईधन आधारित सह उत्पादन संयंत्रों से उत्पादन पर विचार किया जायेगा तथा ऐसे उत्पादन स्टेशनों को सामूहिक रूप से नवीकरणीय ऊर्जा पर (RE) आधारित उत्पादन स्टेशन व सह–उत्पादन स्टेशन के रूप में संदर्भित किया जायेगा।

(2) वर्तमान में निम्नलिखित स्रोतों तथा प्रौद्योगिकियों से उत्पादन इन विनियमों के अधीन आये होने के लिए योग्य होगे।

(a) इस संबंध में राज्य सरकार की प्रचलित नीतियों के अनुसार विकसित किये जा जा रहे लघु हायड्रो परियोजना–उत्पादक स्टेशन्स तथा जो एक स्थान पर 25 MW के बराबर या उससे कम क्षमता के साथ नये संयंत्र और मशीनरी का उपयोग कर रहे हैं।

(b) पवन ऊर्जा परियोजना–पवन स्थल पर अवस्थित 50 मीटर की दूरी ऊचाई पर नापी 200 Watt/m2 के न्यूनतम वार्षिक मध्यवर्ती पवन ऊर्जा घनत्व (WPD) तथा नवीन पवन टरबाईन जनरेटर्स का उपयोग करने वाले।

(c) सौर PV, सौर तापीय और ग्रिड इन्टरैक्टिव रूफटॉप तथा MNRE द्वारा अनुमोदित प्रौद्योगिकियों पर आधारित लघु सौर PV ऊर्जा परियोजनाएं।

(d) बायोमास/बायोगैस ऊर्जा परियोजना रेन्कीन सायकिल प्रौद्योगिकी पर आधारित नवीन संयंत्र तथा मशीनरी का उपयोग कर रही तथा बायोमास ईधन स्त्रोतों का उपयोग कर रही बायोमास ऊर्जा परियोजनाएं, बशर्ते कि जीवाश्म ईंधन का उपयोग के केवल 15 प्रतिशत तक सीमित है।

(e) गैर जीवाश्म ईधन आधारित सह–उत्पादक स्टेशन्स–परियोजना एक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादक परियोजना कहलाने के लिए तभी योग्य होगी जब यह नये संयंत्र और मशीनरी का उपयोग कर रही हो तथा उसकी परिभाषा के अनुरूप हो, साथ ही नीचे दी गई योग्यता आवश्यकताओं को पूरा करती हो:

सह उत्पादन का टॉपिंग सायकल का ढंग– कोई ऐसी सुविधा जिसमें ऊर्जा उत्पादन हेतु गैर–जीवाश्य ईंधन इनपुट का उपयोग किया जाता हो तथा साथ–साथ औद्योगिक गतिविधियों में उपयोगी ताप अनुप्रयोग हेतु उत्पादित तापीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता हो।

बशर्ते टॉपिंग सायकल ढंग के अधीन योग्यता प्राप्ति सह–उत्पादन सुविधा के लिये उपयोगी ऊर्जा उत्पादन तथा उपयोगी तापीय उत्पादन के आधे का योग, सीजन के दौरान सुविधा में ऊर्जा उपयोग से 45 प्रतिशत से अधिक होना चाहिये।

स्पष्टीकरण–इस खण्ड से उद्देश्य हेतु,

(i) 'उपयोगी ऊर्जा उत्पादन' जनरेटर से कुल विद्युतीय उत्पादन है। सह–उत्पादन संयंत्र से अनुषंगी उपयोग होगा (उदाहरण के लिये बॉयलर फीड पंप तथा एफडी/आईडी फैन्स) शुद्ध उत्पादन की संगणना हेतु कुल उत्पादन में से अनुषंगी उपयोग को घटाना आवश्यक होगा। गणना की सरलता के लिये उपयोगी ऊर्जा उत्पादन को जनरेटर से कुल विद्युत (kWh) उत्पादन के रुप में परिभाषित किया जाता है।

(ii) 'उपयोगी तापीय उत्पादन' वह उपयोगी ताप (वाष्प) है जो प्रक्रिया को सह–उत्पादन द्वारा प्रदान किया जाता है।

(iii) सुविधा का 'विद्युत उपयोग' वह उपयोगी विद्युत उत्पादन है जिसकी ईंधन (सामान्यतः खोई या अन्य ऐसे बायोमास ईंधन) द्वारा आपूर्ति की जाती है।

(iv) "टॉपिंग सायकल" से तात्पर्य है एक सह–उत्पादन प्रक्रिया जिसमें तापीय ऊर्जा विद्युत उत्पादित करती है व इसके पश्चात औद्योगिक गतिविधियों में उपयोगी ताप प्रयुक्त होता है।

(f) बायोमास गैसीफायर आधारित ऊर्जा परियोजना–यह परियोजना बायोमास गैसीफायर आधारित ऊर्जा परियोजना कहलाने के लिये तभी योग्य होगी जब यह नये संयंत्र और मशीनरी का उपयोग कर रही होगी तथा उसके पास ऐसी ग्रिड संयोजित प्रणाली होगी जो कि MNRE द्वारा अनुमोदित गैसीफायर प्रौद्योगिकी के साथ 100 प्रतिशत प्रोड्यूसर गैस इंजन का उपयोग करती है।

(g) बायोगैस आधारित ऊर्जा परियोजना–यह परियोजना बायोगैस आधारित ऊर्जा परियोजना कहलाने के लिये तभी योग्य होगी जब यह नये संयंत्र और मशीनरी का उपयोग कर रही होगी तथा उसके पास ऐसी ग्रिड संयोजित प्रणाली होगी जो कि एम एन आइ ई द्वारा अनुमोदित कृषि अवशेषों, खाद और अन्य जैविक अवशिष्टों के कोडाइजेस्टिंग हेतु बायोगैस प्रौद्योगिकी के साथ 100 प्रतिशत बायोगैस फायर्ड इंजन का उपयोग करती हो।

(3) प्रौद्योगिकी का कोई नवीन स्रोत "नवीकरणीय ऊर्जा" के रुप में तभी योग्य होगा जब आयोग द्वारा प्रौद्योगिकी को MNRE अनुमोदन के आधार पर अनुमोदित कर दिया हो। इसके अतिरिक्त आयोग, प्रत्येक प्रौद्योगिकी के लिये प्रथक रुप से शुल्क अवधारित करेगा।

5. पर्यावरणीय एवं अन्य अनुमतियां

(1) RE (नवीकरणीय ऊर्जा) आधारित उत्पादन स्टेशन्स तथा सह–उत्पादन स्टेशन्स संघ/राज्य सरकार द्वारा तय किये गये उत्सर्जन मानकों के पाबन्द रहेंगे तथा जहां कहीं आवश्यक हो इस उद्देश्य हेतु वे केन्द्रीय/राज्य प्रदूषण नियन्त्रण अधिकारियों से सभी अपेक्षित पर्यावरणीय व प्रदूषण नियंत्रण अनुमतियां प्राप्त करेंगे।

(2) RE (नवीकरणीय ऊर्जा) आधारित उत्पादन स्टेशन जहां आवश्यक हो वहां उत्तराखण्ड नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (UREDA) से आवश्यक अनुमति प्राप्त करेगा।

6. उत्पादन स्टेशन से दायित्व एवं कर्तव्य

(1) RE (नवीकरणीय ऊर्जा) आधारित उत्पादन स्टेशन्स तथा सह–उत्पादन ईकाईयों ऐसे स्रोतों से उपलब्ध विद्युत उत्पादन की क्षमताओं तथा इसके अधिकतम उपयोग को ध्यान में रखते हुए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) में अपने उत्पादन संयंत्र की क्षमता इंगित करेंगे। इसके अतिरिक्त, इनका यह भी दायित्व होगा कि आयोग द्वारा अपेक्षित स्वरुप व तरीके से आयोग को उत्पादन संयंत्र को प्रवर्तन में लाने से संबंधित विवरण या अन्य संबंधित सूचना तथा DPR निर्माण की प्रगति प्रस्तुत करें।

(2) RE आधारित उत्पादन स्टेशन तथा सह–उत्पादन स्टेशनः

(a) लागत व दक्षता से संबंधित अध्ययन करने के लिए प्राधिकरण/आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट रुप में उत्पादन/या पारेषण से संबंधित तकनीकी विवरण प्रस्तुत करेंगे।

(b) उत्पादन, पूर्ण की गई मांग, क्षमता उपलब्धता, क्षमता उपयोजन कारक, अनुषंगी उपयोग, विशिष्ट तेल उपयोग या आयोग द्वारा निर्देशित किसी अन्य मानदण्ड इत्यादि के संबंध में सूचना प्रस्तुत करेंगे।

(c) राज्य भार प्रेषण केन्द्र के साथ एक संप्रेक्षण एवं डाटा अन्तरण प्रणाली स्थापित करेंगे तथा निम्नालिखित के संबंध में राज्य भार प्रेषण केन्द्र तथा क्षेत्रीय प्रेषण केन्द्र के साथ समन्वय करेंगे;

(i) अनुसूचीकरण।

(ii) ग्रिड के माध्यम से प्रेषित विद्युत की मात्रा के डाटा का अन्तरण।

(iii) IEGC तथा राज्य ग्रिड संहिता के अनुरुप वास्तविक समय ग्रिड परिचालन तथा विद्युत प्रेषण।

(3) RE आधारित उत्पादन स्टेशन तथा सह–उत्पादन स्टेशन ग्रिड अनुशासन के पाबंद रहेंगे तथा अपनी प्रणाली व मानव जीवन सुरक्षा हेतु पर्याप्त सुरक्षा उपकरण संस्थापित करेंगे। वे ग्रिड के विफल होने की स्थिति में या ग्रिड में किसी घटना के कारण व्यवधान या संयंत्र और उससे संबंधित उपकेन्द्र में या पारेषण लाईन में क्षति की स्थिति में किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति के हकदार नहीं होंगे।

(4) RE आधारित उत्पादन स्टेशन्स और सह–उत्पादन स्टेशन्स, उत्पादन स्टेशन और संबंध उप–स्टेशन की स्थापना, प्रचालन और अनुरक्षण करेंगे। समर्पित पारेषण लाईनों यदि उत्पादन द्वारा निर्मित है तो उनका प्रचालन और अनुरक्षण भी इसके द्वारा किया जायेगा (बिना लाइसेन्स की आवश्यकता के) ये निम्नलिखित के अनुसार होगे:

(a) प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट (विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 73(B)) के रुप में विद्युतीय संयंत्रों के निर्माण, विद्युत लाइनों तथा ग्रिड के साथ संयोजिता हेतु तकनीकी मानक।

(b) सुरक्षा आवश्यकतायें जैसी की प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट हों (विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 73(C)) के रुप में विद्युतीय संयंत्रों तथा विद्युत लाईनों के निर्माण, परिचालन तथा अनुरक्षण हेतु सुरक्षा आवश्यकताएं।

(c) केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग/केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का राज्य पारेषण युटिलिटी (विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 73(D)) द्वारा विनिर्दिष्ट रुप में पारेषण लाईनों के परिचालन तथा अनुरक्षण हेतु ग्रिड मानक।

(d) प्राधिकरण या राज्य पारेषण युटिलिटी (विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 73(E)) द्वारा विनिर्दिष्ट रुप में विद्युत की आपूर्ति हेतु मीटरों के संस्थान के लिए शर्ते।

(5) RE आधारित उत्पादन स्टेशन्स और सह–उत्पादन स्टेशन्स समय–समय पर संशोधित 'IEGC', राज्य ग्रिड संहिता और वितरण संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(6) RE आधारित उत्पादन स्टेशन और सहायक उत्पादन स्टेशन, उत्पादन कंपनियों के लिये आयोग द्वारा बनाये गये विनियमों तथा जारी किये गये किन्हीं सामान्य या विशिष्ट निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(7) उपरोक्त विनियम 2 के उप–विनियम (1) में दूसरे परन्तुक के उपबंधित को छोड़कर, इन विनियमों को अधिसूचना की तिथि पर विद्यमान उत्पादक स्टेशनों द्वारा हस्ताक्षरित सभी ऊर्जा क्रय करार, इन विनियमों के अनुसार संशोधित किये जायेंगे, यदि वे इन विनियमों से असंगत होंगे। तथा ऐसे संशोधित ऊर्जा क्रय करार RE आधारित स्टेशनों और सह–उत्पादन स्टेशनों के सम्पूर्ण जीवन हेतु मान्य होंगे।

(8) RE आधारित उत्पादन स्टेशन्स और सह–उत्पादन स्टेशन्स, अधिनियम में उपबंध किये गये अनुसार राज्यान्तर्गत पारेषण/विवरण प्राणाली से संबंधित योजना और समन्वय के उद्देश्य से राज्य पारेषण युटिलिटी/वितरण अनुज्ञापी के साथ समन्वय करेंगे।

(9) RE आधारित उत्पादन स्टेशन्स तथा सह–उत्पादन स्टेशन्स जैसा कि समय–समय पर आयोग निर्देशित/विनिर्दिष्ट किया गया हो, राज्य भार प्रेषण केन्द्र को फीस एवं प्रभार का भुगतान करेंगे।

(10) RE आधारित उत्पादन स्टेशन्स तथा सह–उत्पादन स्टेशन्स, राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा इनको जारी निर्देशों का अनुपालन करने के लिए पाबंद होंगे, ऐसा न करने पर प्रत्येक ऐसे अनानुपालन हेतु संयंत्र अधिकतम रु0 5.00 लाख के दंड का उत्तरदायी होगा।

(11) विद्युत की गुणवत्ता सा ग्रिड के निरापद, सुरक्षित तथा एकीकृत परिचालन के संदर्भ में या राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा जारी किसी निर्देश के संबंध में किसी विवाद की स्थिति में मामला न्यायनिर्णयन हेतु आयोग को संदर्भित किया जायेगा।

7. ऊर्जा का विक्रय

(1) सभी RE आधारित उत्पादन स्टेशन्स तथा सह–उत्पादन स्टेशन्स को अपने स्वयं के लिए अपेक्षित क्षमता से अधिक ऊर्जा को, वितरण अनुज्ञापी को या स्थानीय ग्रामीण ग्रिड को आयोग द्वारा अवधारित दरों पर या किसी उपभोक्ता को (बशर्ते कि ऐसे उपभोक्ता को उन्मुक्त अभिगमन विनियमों के अधीन उन्मुक्त अभिगमन की अनुमति प्राप्त हो) या राज्य के भीतर या राज्य के बाहर किसी व्यक्ति को आपसी सहमति से तय दरों पर राज्य के भीतर या राज्य के बाहर किसी व्यक्ति को विक्रय करने की अनुमति होगी।

(2) वितरण अनुज्ञापी उक्त RE आधारित उत्पादन स्टेशनों तथा सह–उत्पादन स्टेशनों द्वारा दिये गये प्रस्ताव पर इन विनियमों तथा अन्य विनियमों व अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के अनुरुप ऊर्जा क्रय करार करेगा, वितरण अनुज्ञापी, उत्पादन कंपनी द्वारा दिये गये प्रस्ताव से दो माह के भीतर ऊर्जा क्रय करार पर हस्ताक्षर करेगा, ऐसा न होने पर उत्पादन कंपनी उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हेतु आयोग से संपर्क कर सकती है।

(3) वितरण अनुज्ञापी, इन विनियमों तथा समय–समय पर संशोधित उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (कारोबार संचालन) विनियम, 2004 में विनिर्दिष्ट रुप व तरीके से उत्पादन स्टेशन के साथ किये गये ऊर्जा क्रय करार के अनुमोदन हेतु आवेदन करेगा।

8. उन्मुक्त अभिगमन –

(1) सभी RE आधारित उत्पादक स्टेशनों व सब–स्टेशनों को बंधित उपयोग हेतु तथा विनियम 7(1) के अधीन आने वालों को राज्य पारेषण/वितरण प्रणाली में भेदभाव रहित उन्मुक्त अभिगमन की अनुमति होगी जो कि इन विनियमों में उपबंधों के अधीन होगी।

परन्तु यह उन्मुक्त अभिगमन राज्य पारेषण/वितरण प्रणाली में अधिशेष क्षमता की उपलब्धता के अधीन अनुमोदित होगा।

15

(2) यह उन्मुक्त अभिगमन, विनियम 38 के उपबंधों के अनुसार अवधारित किये गये पारेषण/व्हीलिंग प्रभारों के भुगतान और वस्तु रुप में औसत पारेषण/वितरण हानियों के समायोजन के अधीन होगा।

(3) यदि राज्य पारेषण प्रणाली या राज्य वितरण प्रणाली में अधिशेष क्षमता के संबंध में कोई प्रश्न उठता है तो मामले का न्याय–निर्णयक आयोग द्वारा किया जायेगा।

अध्याय 3

नवीकरणीय क्रय दायित्व (RPO)

9. 'नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत में गैर जीवाश्म आधारित सह–उत्पादक तथा उत्पादन' से वितरण अनुज्ञापियों द्वारा क्रय की जाने वाली विद्युत की न्यूनतम मात्रा

(1) ऊर्जा के नवीकरणीय तथा गैर परम्परागत स्रोतों के विकास को बढ़ावा देने के लिये अधिनियम, राष्ट्रीय विद्युत नीति तथा शुल्क नीति के उपबंधों के अनुरुप राज्य के सभी वर्तमान और भविष्य के वितरण अनुज्ञापी, बंधित उपयोग कर्ता तथा उन्मुक्त अभिगमन वाले ग्राहक, जिन्हें इसमें इसके आगे "आबद्ध एन्टिटी" के रुप में संदर्भित किया गया है, विनियम 4 के अधीन परिभाषित रुप में योग्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से, निम्नानुसार स्वयं के उपभोग के लिये अपनी कुल विद्युत आवश्यकताओं का न्यूनतम प्रतिशत प्राप्त करने के लिये आबद्ध होंगे। यह आबद्ध एन्टिटीज् का नवीकरणीय क्रय दायित्व (RPO) कहलायेगा।

वर्ष	नवीनीकरण क्रय दायित्व —नॉन सोलर	नवीनीकरण क्रय दायित्व–सोलर
2013-14	6.00%	0.050%
2014-15	7.00%	0.075%
2015-16	8.00%	0.100%
2016-17	9.00%	0.300%
2017-18	11.00%	0.500%

* ऊपर अनुबद्ध प्रतिशत आर.पी.ओ. स्वयं के उपयोग हेतु वर्ष के दौरान आबद्ध एन्टिटी द्वारा सभी स्रोतों से क्रय की गई/उत्पादित कुल ऊर्जा के प्रतिशत के रुप में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन तथा उत्पादन से क्रय की न्यूनतम मात्रा व्यक्त करती है।

बशर्ते यदि ऊर्जा के नवीकरणीय और गैर परम्परागत स्रोतों से ऊपर विनिर्दिष्ट RPO से अधिक ऊर्जा उपलब्ध हो जाती है तो उत्पादक या आबद्ध एन्टिटी आयोग से संपर्क करेंगे।

(2) उस RPO संरचना के उद्देश्य से प्रत्येक आबद्ध एन्टिटी के लिये स्वयं के उपयोग का अर्थ होगा, अनुज्ञापियों या बाहरी उपभोक्ताओं के मध्य विद्युत के किसी परस्पर विक्रय को छोड़कर अपने आपूर्ति

क्षेत्र के भीतर अपने उपभोक्ताओं को आपूर्ति के उद्देश्य से या अपने स्वयं के उपयोग के लिये सभी स्रोतों से आबद्ध एन्टिटी द्वारा उपयोग की गई या क्रय की गई कुल ऊर्जा।

अध्याय 4

शुल्क – सामान्य सिद्धान्त

10. शुल्क

(1) इन विनियमों के अधीन अवधारित शुल्क केवल वितरण –अनुज्ञापियों तथा स्थानीय ग्रामीण ग्रिड्स को विद्युत के विक्रय हेतु लागू होंगे। आयोग, जहां तक संभव हो, CERC, राष्ट्रीय विद्युत नीति और शुल्क नीति द्वारा विनिर्दिष्ट सिद्धान्त या कार्य प्रणाली, यदि कोई है, द्वारा दिशा निर्देशित होगा।

(2) RE आधारित उत्पादक स्टेशन तथा सह–उत्पादक स्टेशन, सिवाय उनके जो विनियम 2 के उप विनियम (1) के परन्तुक 2 के अधीन उल्लिखित है, विभिन्न प्रौद्योगिकियों हेतु इन विनियमों में विर्निष्ट मानकों के आधार पर अवधारित रुप से सामान्य शुल्क चुन सकते हैं या "परियोजना विशिष्ट शुल्क" में अवधारण हेतु आयोग के सामने याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं। इस उद्देश्य हेतु RE आधारित उत्पादन स्टेशन तथा सह–उत्पादन स्टेशन, प्रवर्तन में आने की तिथि के 3 माह पहले या इन विनियमों के जारी होने के 1 माह पश्चात् दोनों में से जो बाद में हो, पर वितरण अनुज्ञापी को अपना विकल्प देंगे। एक बार चयन किये गये विकल्प को PPA की विधिमान्य अवधि के दौरान बदलने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(3) निम्नलिखित मामलों में, प्रत्येक मामले में पृथक रुप से परियोजना विशिष्ट शुल्क, आयोग द्वारा अवधारित किया जायेगा।

(a) अध्याय 5 के अधीन विभिन्न प्रौद्योगिकियों हेतु विर्निष्ट रुप से मानकीय पूंजी लागत के स्थान पर वास्तवित पूंजी लागत के आधार पर अपना शुल्क अवधारण चुनने वाली परियोजनाओं के लिए स्थिर प्रभारों की वसूली हेतु CUF अनुमोदित DPR में परिकल्पित रुप से या सुसंगत प्रौद्योगिकी हेतु अध्याय 5 के अधीन विनिर्दिष्ट मानकीय CUF (उत्पादन) दोनों में से जो अधिक हो, लिया जायेगा।

(b) अन्य संकर योजनाओं में ऐसी नवीकरणीय–नवीकरणीय या नवीकरणीय–परम्परागत स्रोत सम्मिलित है जिसके लिये नवीकरणीय प्रौद्योगिकी MNRE द्वारा अनुमोदित है।

(c) पुराने संयंत्र और मशीनरी या उपकरण वाली परियोजनाएं।

(d) MNRE द्वारा अनुमोदित कोई अन्य नई नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी।

बशर्ते परियोजना विशिष्ट शुल्क का अवधारण करते समय आयोग, इनमें विनिर्दिष्ट प्रौद्योगिकियों हेतु इन विनियमों के अध्याय 4 और 5 के उपबंधों द्वारा दिशा निर्देशित होगा।

11. नियन्त्रण अवधि या समीक्षा अवधि

(1) इन विनियमों के अधीन नियंत्रण अवधि या समीक्षा अवधि पांच वर्षों की होगी, जिसमें से पहला वर्ष वित्त वर्ष 2013—14 होगा।

बशर्ते सौर PV, सौर तापीय और ग्रिड इन्टरैक्टिव रूफ टौप तथा लघु सौर PV परियोजनाओं के लिये तल चिह्न पूंजी लागत की आयोग द्वारा वार्षिक रुप से समीक्षा की जायेगी।

बशर्ते आगे यह कि नियन्त्रण अवधि के दौरान प्रवर्तन में लायी गई RE परियोजनाओं हेतु उन विनियमों के अनुसार अवधारित शुल्क का विनियम 3(1)(nn) के अधीन विनिर्दिष्ट रुप में सम्पूर्ण शुल्क अवधि (संयंत्र का उपयोगी जीवन काल) हेतु लागू होना जारी रहेगा।

12. शुल्क और PPA अवधि

(1) नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा परियोजनाओं हेतु शुल्क अवधि परियोजना के उपयोगी जीवन के बराबर होगी।

(2) इन विनियमों के अधीन शुल्क अवधि, नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र के वाणिज्यिक परिचालान या प्रवर्तन के आने की तिथि से किया जायेगा।

(3) ऊर्जा कय करार वितरण अनुज्ञापी के साथ संपूर्ण जीवन काल हेतु करना आवश्यक होगा।

13. परियोजना विशिष्ट शुल्क के अवधारण हेतु याचिका एवं कार्यवाही

(1) RE आधारित उत्पादन स्टेशन तथा गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह—उत्पादन स्टेशन्स ऐसे प्रारुप तथा ऐसी सूचना के साथ जैसी कि समय—समय पर आयोग द्वारा अपेक्षित हो, RE आधारित उत्पादन स्टेशन्स तथा सह—उत्पादन स्टेशन्स की पूर्ण हो चुकी ईकाईयों के सम्बन्ध में वास्तविक पूंजी लागत पर आधारित परियोजना विशिष्ट शुल्क निर्धारित करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

बशर्ते, परियोजना विशिष्ट शुल्क अवधारणा हेतु RE आधारित उत्पादन स्टेशन्स तथा सह—उत्पादन स्टेशन्स अपनी याचिका के साथ पूंजी लागत मदों का व्योरा (ब्रेकअप) प्रस्तुत करेंगे।

(2) शुल्कों के अन्तिम निर्धारण तक RE आधारित उत्पादन स्टेशन्स या सह उत्पादन स्टेशन्स या सामान्य शुल्क को स्वीकार कर सकते हैं या आवेदन करने की तिथि अथवा आवेदन करने से पहले की तिथि तक हुए सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा यथाविधि संपरीक्षित व प्रमाणित, वास्तविक पूँजीगत व्यय पर आधारित परियोजना के पूर्ण होने की प्रत्याशित तिथि से पहले ही अनंतिम शुल्क के निर्धारण हेतु आवेदन कर सकते हैं। आयोग द्वारा अवधारित अनंतिम शुल्क उत्पादन स्टेशन की सम्बन्धित यूनिट की वाणिज्यिक परिचालन तिथि (CoD) से प्रभावित किये जा सकते हैं।

बशर्ते RE आधारित उत्पादन स्टेशन्स तथा सह उत्पादन स्टेशन्स के लिए उत्पादन स्टेशन के वाणिज्यिक परिचालन की या प्रवर्तन में आने की तिथि तक हुए वास्तविक पूँजीगत व्यय पर आधारित अंतिम शुल्क के अवधारण हेतु आवेदन सांविधिक लेखा परिक्षकों द्वारा विधिवत संपरीक्षित व प्रमाणित लेखों की प्रतियों के साथ CoD से 18 माह के भीतर कराना आवश्यक होगा।

(3) उत्पादक कंपनी उतने वर्षों के लिए यह शुल्क के अवधारण हेतु आवेदन फाईल करेगी जितने वर्षों के लिए यह शुल्क तय करवाना चाहती है।

(4) शुल्क के अवधारण हेतु याचिका के साथ उविनिआ (शुल्क जुर्माना) विनियम, 2002 जो कि समय समय पर संशोधन किया गया है, में विनिर्दिष्ट शुल्क जमा किया जायेगा तथा इसके साथ निम्नलिखित को भी संलग्न किया जायेगाः

(a) इन विनियमों में संलग्नित यथास्थिति प्रपत्र 1.1, 1.2, 2.1 तथा 2.2 के अनुसार सूचना;

(b) तकनीकी एवं परिचालक विवरण स्थल विशिष्ट पहलू, पूँजी लागत हेतु परिक्षेत्र तथा वित्तपोषण योजना इत्यादि का विवरण देते हुए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट।

(c) जिस अवधि हेतु शुल्क अवधारणा अपेक्षित है उसके लिए प्रत्याशित व्यय तथा सभी लागू निबंधनों एवं शर्तो का विवरण।

(d) केन्द्र सरकार और/या राज्य सरकार प्राप्त, प्राप्य या प्राप्ति हेतु अभिग्रहित किसी सहायिकी तथा प्रोत्साहन की गणना का पूर्ण विवरण। इस विवरण में सहायिकी तथा प्रोत्साहन का विचार कर या विचार किये बिना गणना किया गया प्रस्तावित शुल्क पृथक रूप से सम्मिलित होगा।

(e) कोई अन्य जानकारी जिसकी आयोग याचिकादाता से अपेक्षा करें।

(5) शुल्क के अवधारणा हेतु कार्यवाही उविनिआ(कारोबार का संचालन) विनियम, 2004 के अनुसार होगी।

14. शुल्क संरचना

(1) नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों हेतु शुल्क एकल भाग शुल्क (Rs./KWH) के तथा एक्स बस अर्थात विनियम 3(1)(v) में परिभाषित रूप में अन्तः संयोजन बिन्दु पर परिवर्तन हानियों तथा अनुषंगी उपभोग के पश्चात् होगा।

बशर्ते बायोमास ऊर्जा परियोजनाओं तथा गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन जैसे ईंधन लागत घटकों वाली नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिये स्थिर लागत घटक तथा ईंधन घटक, इन दो घटकों के साथ शुल्क अवधारित किया जायेगा।

(2) शुल्क में निम्न लिखित स्थिर लागत घटकों का समावेश होगा :–

(a) इक्वेटी पर प्रतिलाभ,

(b) ऋण पूंजी पर ब्याज,

(c) अवक्षय,

(d) कामकाजी पूंजी पर ब्याज,

(e) परिचालन एवं अनुरक्षण ब्याज,

(3) सामान्य शुल्क, प्रत्येक प्रकार के नवीकरणीय स्रोत तथा जिनके लिये इन विनियमों में मानक विनिर्दिष्ट किये गये हैं ऐसी प्रत्येक प्रकार की नवीकरणीय प्रौद्योगिकी के लिये पृथक रूप से अवधारित किये जा रहे हैं।

(4) सामान्य शुल्क, प्रत्येक प्रकार के स्रोत हेतु इन विनियमों में विनिर्दिष्ट मानकों तथा सयंत्र के प्रवर्तन में आने के वर्ष के अनुसार मानकीय मानदण्डों पर आधारित होंगे। इन विनियमों के अधीन RE आधारित उत्पादन स्टेशनों तथा सह उत्पादन स्टेशनों के संबंध में शुल्क संपूर्ण उत्पादन स्टेशन हेतु लागू होगा।

बशर्ते विभिन्न नियंत्रण अवधि के प्रचलन के दौरान प्रवर्तन में आई एक से अधिक यूनिट वाले संयंत्र से विद्युत की आपूर्ति हेतु सामान्य शुल्क, संयंत्र की कुल क्षमता हेतु विभिन्न विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट शुल्कों के भारित औसत पर आधारित होंगे।

(5) परियोजना के जीवन हेतु स्तरीकृत शुल्क RE आधारित उत्पादन स्टेशन्स और सहायक स्टेशन्स के लिए विनिर्दिष्ट किये जायेगे

बशर्ते दो घटकों के साथ शुल्क (Rs./kWh) वाली नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों हेतु, स्थिर लागत घटक शुल्क के लिए परियोजना के प्ररवर्तन में आने के वर्ष का विचार करते हुए स्तरीकृत आधार पर विनिर्दिष्ट होगा और ईधन घटक शुल्क परिचालन वर्ष के अनुसार तय होगा।

(6) स्तरीकृत शुल्क संगणना के उद्देश्य हेतु पूंजी की भारित औसत लागत के सामान्य छूट कारक पर विचार किया जायेगा पूंजी की भारित औसत लागत के अवधारण हेतु, इक्विटी पर टैक्स पूर्व प्रतिफल, लागू दरों पर कर हेतु समायोजन किया जायेगा।

(7) सामान्य शुल्क के मानकीय होने पर कार्य निष्पादन या अन्य कारणों से कोई कमी या वृद्धि RE आधारित स्टेशनों या सह उत्पादक स्टेशनों द्वारा वहन/प्रति धारित की जायेगी, तथा अतिरिक्त पूंजीकरण सहित किसी मानदण्ड का सहीकरण किसी भी कारण से शुल्क की विधिमान्यता अवधि में नहीं किया जायेगा। एक कालन (Sync) तथा यूनिट (अशक्त ऊर्जा) प्रवर्तन में आने की अवधि के मध्य विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क, परियोजना के उपयोगी जीवन हेतु सामान्य शुल्क में स्थिर लागत घटक में 50 प्रतिशत के बराबर होगा। तथापि बायोमास ऊर्जा परियोजनाओं तथा गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह—उत्पादन जैसे ईंधन लागत घटकों वाली नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियां भी स्तरीकृत सामान्य शुल्क में 50 प्रतिशत के अतिरिक्त उस वर्ष हेतु शुल्क का ईंधन लागत घटक पाने की हकदार होगी।

बशर्ते जहां परियोजना विशिष्ट शुल्क अवधारित किया जा रहा है वहां अशक्त ऊर्जा से उत्पादक राजस्व का उपयोग, जहां लागू हो वहां, उपयोग किये गये ईंधन की लागत हेतु प्रत्यय दिये जाने के पश्चात् परियोजना की पूंजी लागत घटाने के लिए किया जायेगा।

15. वित्तीय सिद्धान्त

(1) पूंजीलागत

(a) पूंजीलागत हेतु मानक जैसे कि अध्याय 5 में पश्चातवर्ती प्रौद्योगिकी प्रावधान में विनिर्दिष्ट किये गये हैं, में उपगत या उपगत होने के लिए प्रक्षेपित व्यय, प्रारम्भिक स्पेयर्स, निर्माण की अवधि में ब्याज और बिना पोषण प्रभार, कुशल जांच के पश्चात् आयोग द्वारा स्वीकृत, परियोजना के वाणिज्यिक प्रचलन या प्रवर्तन में आने की तिथि तक नीचे उप–विनियम –2 में विनिर्दिष्ट तरीकों से प्राप्त त्रणों पर निर्माण के दौरान विदेशी विनियम जोखिम परिवर्तन के कारण कोई हानि या लाभ सम्मिलित होंगे। पूंजी लागत में अन्तः संयोजन के बिन्दु तक निष्क्रमण संरचना की ओर उपगत या उपगत होने के लिए प्रक्षेपित व्यय सम्मिलित होंगे। (अर्थात इसमें उत्पादन स्टेशन से जुड़े पारेषण या वितरण अनुज्ञापी के समीपस्थ उप–स्टेशन तक अन्तः संयोजन बिन्दु से समर्पित लाईन और संम्बद्ध उपकरण की लागत सम्मिलित नहीं है।) परियोजना विशिष्ट शुल्क की गणना के लिये पूंजीलागत में अतिरिक्त पूंजीकरण हेतु उपगत या उपगत होने के लिये प्रक्षेपित व्यय भी सम्मिलित होंगे।

(b) यदि उत्पादक, पारेषण या वितरण अनुज्ञापी के उस निकटतम उप–स्टेशन तक अन्तः संयोजन के बिन्दु से निष्क्रमण संरचना का निर्माण करता है जिसके उत्पादन स्टेशन संयोजित हैं तो उसे अन्तः संयोजन के बिन्दु पर सामान्य शुल्क अवधारणा के अलावा 5 पैसा/यूनिट का मानकीय स्वीकृत शुल्क अनुमोदित किया जायेगा तथापि एक सौर उत्पादक कम्पनी के मामलों में 12 पैसा/यूनिट का एक मानकीय स्तरीकृत शुल्क, अन्तः संयोजन के बिन्दु पर अवधारित सामान्य शुल्क के ऊपर अनुमोदित होगा, निष्क्रमण संरचना हेतु उक्त मानकीय शुल्क नीचे दी गई मानकीय लागत के अनुसार उत्पादन स्टेशनों की भिन्न भिन्न क्षमताओं के लिए 10 कि0मी0 की मानकीय लाईन लम्बाई की लागत (टर्मिनल उपकरणें के लागत सहित) पर विचार कर प्राप्त की गई हैः–

i.	3 MW तक, 11 kV S/C	रू0 44 लाख
ii.	3MW से अधिक और 13 MW तक, 33 kV S/C	रू0 85 लाख
iii.	13 MW से अधिक और 25 MW तक, 33 KV 2 x S/C या DC	रू0 170 लाख

(c) जहां समर्पित लाईनों का निर्माण उत्पादन कंपनी द्वारा किया गया है वहां वितरण अनुज्ञापी को ऊपर विनिर्दिष्ट अतिरिक्त शुल्क का उत्पादन कंपनी को भुगतान करना होगा, बशर्ते कि ऐसी लाईनों का स्वामित्व उत्पादन कंपनी के पास बना रहे। तथापि, उत्पादक कंपनी के नवीनतम

संपरीक्षित लेखों में इंगित अवक्षयित लागत पर उत्पादक कंपनी की निष्क्रमण लाईन को खरीदने या विनियमों के अनुसार अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने का पहला विकल्प वितरण अनुज्ञापी को दिया जायेगा।

परन्तु वितरण अनुज्ञापी को, परियोजना के प्रवर्तन में आने की तिथि या CoD से एक वर्ष के भीतर अपने विकल्प का प्रयोग करना आवश्यक होगा।

(2) ऋण इक्विटी अनुपात

सामान्य तथा परियोजना विशिष्ट शुल्क हेतु ऋण इक्विटी अनुपात निम्नलिखित अनुसार होगा।

(a) सामान्य शुल्क हेतु ऋण इक्विटी अनुपात 70:30 होगा।

(b) परियोजना विशिष्ट शुल्क हेतु निम्नलिखित उपबन्ध लागू होंगे:

यदि वास्तविक रूप से परियोजित इक्विटी, पूंजीलागत के 30 प्रतिशत से अधिक है तो 30 प्रतिशत से अधिक की इक्विटी को मानकीय ऋण माना जायेगा।

परन्तु जहाँ वास्तविक रूप से परियोजित इक्विटी पूंजी लागत के 30 प्रतिशत से कम है वहां शुल्क निर्धारण हेतु वास्तविक इक्विटी ली जायेगी।

आगे यह भी कि विदेशी मुद्रा में निवेशित इक्विटी प्रत्येक निवेश की तिथि पर भारतीय रूपये मे अभिहित होगी।

(3) विनियम 24 के अधीन विनिर्दिष्ट सीमा तक MNRE से उपलब्ध सहायिकी को ऋण के पूर्व भुगतान के लिए उपयोग की गई समझी जायेगी, बचा हुआ ऋण तथा 30 प्रतिशत इक्विटी को प्रशुल्क निर्धारण हेतु संज्ञान में दिया जायेगा।

आगे यह और कि यह मान लिया जायेगा कि मूल चुकौती इस भुगतान के द्वारा प्रभावित नहीं होगी।

परन्तु यह कि मूल पुनर्भुगतान इस पूर्व भुगतान से सहायिकी की राशि, MNRE की लागू नीति के अनुसार प्रत्येक नवीकरणीय स्रोत हेतु समझी जायेगी।

(4) यदि सहायिकी की राशि में MNRE द्वारा वृद्धि या कमी की जाती है तो शुल्कों में आवश्यक सुधार आयोग द्वारा किया जायेगा, बशर्ते कि सहायिका की राशि मे कमी उत्पादक की अवक्षय के कारण न हुई हो।

16. ऋण पूँजी पर ब्याज

(1) विनियम 15 (2) में इंगित तरीके से ज्ञात किया गया ऋण, ऋण पर ब्याज हेतु गणना के लिए कुल मानकीय ऋण समझा जायेगा, प्रत्येक वर्ष को पहली अप्रैल को मानकीय ऋण बकाया, कुल मानकीय ऋण से पिछले वर्ष से 31 मार्च तक संचयी चुकौती घटा कर निकाला जायेगा।

(2) सामान्य शुल्क की संगणना में उद्देश्य से मानकीय ब्याज दर पिछले वर्ष से पहले छः महीनों के दौरान प्रचलित, औसत भारतीय स्टेट बैंक (SBI) आधार पर धन 300 बिन्दु को माना जायेगा।

परियोजना विशिष्ट शुल्क की संगणना के उद्देश्य से ब्याज दर, वित्तीय संस्थानों द्वारा देय वास्तविक ब्याज का निम्न या पिछले वर्ष से पहले छः माह के दौरान प्रचलित औसत SBI आधार दर धन 300 आधार बिन्दु को माना जायेगा।

(3) उत्पादन कंपनी द्वारा उपभोग की गई किसी अधिस्थगन अवधि के होते हुए भी ऋण की अदायगी परियोजना के वाणिज्यिक परिचालन के प्रथम वर्ष से समझी जायेगी तथा यह अनुमोदित वार्षिक अवक्षय के बराबर होगी।

परियोजना विशिष्ट शुल्क की संगणना करते समय, उत्पादन कंपनी द्वारा उपभोग की गई किसी अधिस्थगन अवधि के होते हुए भी ऋणों की चुकौती परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन के प्रथम वर्ष से समझी जायेगी तथा यह अनुमोदित वार्षिक अवक्षय या की गई वास्तविक चुकौती दोनों में से जो अधिक हो, समझी जायेगी।

(4) ऋण की चुकौती की मानदीय अवधि 12 वर्ष मानी जायेगी।

17. अवक्षय

(1) शुल्क के उद्देश्य हेतु अवक्षय संगणना निम्नलिखित तरीके से की जायेगी।

(a) अवक्षय के उद्देश्य से मूल आधार नीचे उप–विनियम (2) के अनुरूप आयोग द्वारा स्वीकृत रूप में परियोजना की पूंजी लागत होगी।

(b) आस्ति का उद्धारण मूल्य 10 प्रतिशत समझा जायेगा तथा अवक्षय आस्ति की पूंजी लागत का अधिकतम 90 प्रतिशत तक अनुमोदित होगा।

(c) प्रति वर्ष अवक्षय, ऋण अवधि पर विधेयक अवक्षय दृष्टिकोण तथा "सरल रेखा विधि" पर संगणित उपयोगी जीवन पर आधारित होगी। सामान्य शुल्क हेतु शुल्क अवधि के प्रथम 12 वर्षो के लिये अवक्षय दर 5.83 प्रतिशत प्रति वर्ष होगी तथा शेष अवक्षय 13 वें वर्ष से आगे परियोजना के शेष उपयोगी जीवन में विस्तारित होगी।

(d) अवक्षय, वाणिज्यिक प्रचालन के प्रथम वर्ष से प्रभारित होगा।

बशर्ते वर्ष के भाग के लिये आस्ति के वाणिज्यिक प्रचालन के मामले में अवक्षय परियोजना विशिष्ट शुल्क की संगणना हेतु यथानुपात आधार पर प्रभारित होगा।

(2) उत्पादक द्वारा प्राप्त पूंजी सहाविकी का 75% अवक्षय के उद्देश्य से पूंजी लागत में से घटा लिया जायेगा।

18. इक्विटी पर प्रतिफल

(1) इक्विटी पर मूल आधार विनियम 15(2) के अधीन अवधारित किया जायेगा।

(2) इक्विटी पर प्रतिफल होगा–

(a) प्रथम 10 वर्षो के लिये कर पूर्व 20 प्रतिशत प्रति वर्ष ।

(b) 11 वें वर्ष से आगे कर पूर्व 24% प्रतिशत प्रति वर्ष।

19. कामकाजी पूंजी पर ब्याज

(1) पवन ऊर्जा परियोजनाओं, लघु हायड्रो ऊर्जा, सौर PV सौर तापीय और ग्रिड इन्टरेक्टिव रूफ टॉप व लघु सौर PV परियोजनाओं के संबंध में कामकाजी पूंजी आवश्यकता की संगणना निम्नलिखित के अनुसार की जायेगी–

(a) एक माह हेतु परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय,

(b) मानकीय CUF पर परिचालित विद्युत के विक्रय हेतु विद्युत प्रभार के 2 (दो) माह के बराबर प्राप्तियोग्यः

बशर्ते परियोजना विशिष्ट शुल्क के अवधारण हेतु विद्युत का विक्रय, अनुमोदित DPR में नियत CUF या अध्याय 5 के अधीन सुसंगत प्रौद्योगिकी के लिये विनिर्दिष्ट मानकीय CUF दोनों में जो अधिक हो के आधार पर परिकलित किया जायेगा।

(c) अनुरक्षण–स्पेयर्स, परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय के 15 प्रतिशत की दर से।

(2) बायोमास ऊर्जा परियोजनाओं तथा गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन परियोजनाओं के संबंध में कामकाजी पूंजी की आवश्यकता की संगणना निम्नलिखित के अनुसार की जायेगी–

(a) मानकीय CUF के समानक चार माह हेतु ईंधन लागतें।

(b) एक माह हेतु परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय।

(c) मानकीय CUF पर परिचलित विद्युत से विक्रय हेतु स्थिर व परिवर्ती प्रभारों के 2 (दो) माह के समानक प्राप्ति योग्य।

(d) परिचालन एवं अनुरक्षण व्ययों के 15 प्रतिशत की दर से अनुरक्षण स्पेयर्स।

बशर्ते ईंधन/परिवर्ती प्रभार के अवधारण हेतु 5 प्रतिशत को मानकीय वृद्धिकारक पर विचार किया जायेगा।

बसर्ते आगे यह भी कि परियोजना विशिष्ट शुल्क के अवधारण हेतु CUF अनुमोदित DPR में नियत CUF या अध्याय 5 के अधीन सुसंगत प्रोद्योगिकी हेतु विनिर्दिष्ट मानकीय CUF दोनों में जो अधिक हो के रूप में लिया जायेगा।

(3) कामकाजी पूंजी पर ब्याज, पिछले वर्ष के पहले छः महीनों के दौरान प्रचलित औसत SBI आधार दर धन 350 आधार बिन्दुओं के बराबर ब्याज दर पर होगा।

20. परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय

(1) प्रवर्तन में आने के वर्ष हेतु परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय, नियत्रंण अवधि, अर्थात वित्त वर्ष 2013–14 के प्रथम वर्ष के लिये विभिन्न प्रौद्योगिकियों हेतु अध्याय 5 के अधीन आयोग क्षरा विनिर्दिष्ट मानकीय परिचालन एंव अनुरक्षण व्यय पर आधारित रूप में आवधारित होंगे। इन व्ययों में, आगामी वर्षो हेतु परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय की प्राप्ति हेतु 5.72 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि करनी होगी।

(2) प्रवर्तन में आने के वर्ष हेतु स्वीकृत मानकीय परिचालन एवं अनुरक्षण व्ययों में, शुल्क अवधि में भिन्न–भिन्न वर्षो के लिये परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय अवधारित करने के लिये 5.72 प्रतिशत की दर से वृद्धि की जायेगी।

21. CDM लाभ

(1) अनुमोदित CDM परियोजना से कार्बन क्रेडिट प्राप्तियां उत्पादन कंपनी तथा संबंधित लाभार्थियों के मध्य निम्नलिखित तरीके से बांटी जायेगी–

(a) CDM लाभ की कुल प्राप्तियों का 100 प्रतिशत, उत्पादन स्टेशन के वाणिज्यिक परिचालन की तिथि के पश्चात् पहले वर्ष में परियोजना विकासक द्वारा लिया जायेगा;

(b) दूसरे वर्ष में, लाभार्थियों का हिस्सा 10 प्रतिशत होगा जिसमें प्रगामी रुप से प्रतिवर्ष तब तक वृद्धि की जायेगी जब तक कि यह 50 प्रतिशत तक न पहुंच जाये। उसके पश्चात् प्राप्तियों को उत्पादन कंपनी तथा लाभार्थियों के मध्य बराबर अनुपात में बांटा जायेगा।

(c) स्तरीकृत या वार्षिक शुल्क के अवधारण हेतु CDM लाभों पर विचार नहीं किया जायेगा तथा प्राप्तियों की कुल राशि, उपरोक्त उपबंधों के अनुसार लेखा परीक्षा के प्रभाणीकरण के साथ इसकी प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रत्येक वित्त वर्ष हेतु वितरण अनुज्ञापी के पास उत्पादक कंपनी द्वारा सीधे जमा की जायेगी।

22. छूट

(1) प्रस्तुतिकरण पर प्रत्यय पत्र के माध्यम से बिलों के भुगतान हेतु 2 प्रतिशत की छूट अनुमोदित होगी।

(2) जहां उत्पादन कंपनी द्वारा भुगतान प्रत्यय पत्र के बदले किसी अन्य माध्यम से किन्तु प्रस्तुतीकरण के एक माह के भीतर किया जाता है तो 1 प्रतिशत की छूट अनुमोदित होगी।

2५

23. विलंबित भुगतान अधिभार

यदि बिलों का भुगतान, बिल की तिथि से 60 दिनों से अधिक की अवधि तक विलंबित होता है तो उत्पादक कंपनी द्वारा 1.25 प्रतिशत की दर से विलंबित भुगतान अधिकार लगाया जायेगा।

24. केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा सहायिकी या प्रोत्साहन

यदि उत्पादन कंपनी द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों के लिये केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित किसी सहायिकी का प्रोत्साहन, जिसमें त्वरित अवक्षय लाभ भी सम्मिलित हैं, का उपयोग कर रही है तो इन विनियमों के अधीन शुल्क का अवधारण करते समय आयोग इस पर विचार करेगा।

बशर्ते शुल्क अवधारण हेतु, MNRE की लागू योजना के अनुसार प्रवर्तन में आने वाले वित्त वर्ष हेतु पूंजीगत सहायिकी से केवल 75 प्रतिशत का ही विचार किया जायेगा।

आगे यह भी कि शुल्क अवधारण के उद्देश्य हेतु त्वरित अवक्षय, यदि उपयोग किया गया हो तो इस कारण आय कर लाभ सुनिश्चित करने के लिये निम्नलिखित सिद्धान्तों का विचार किया जायेगा:

(a) लाभ का निर्धारण, स्वीकृत पूंजी लागत, आयकर अधिनियम के अधीन सुसंगत उपबंधों के अनुसार त्वरित अवक्षय दर तथा निगमित आय कर दर पर आधारित होगा।

(b) राजकोषीय वर्ष के द्वितीय वर्ष में RE परियोजनाओं का पूंजीकरण, पूंजी की कर–पश्चात भारित औसत लागत के बराबर छूट धारक के स्तरीकृत आधार पर प्राप्त प्रति यूनिट लाभ।

(c) यह माना जायेगा कि उत्पादन कंपनी त्वरित अवक्षय से लाभ का उपभोग करेगी तथा वितरण अनुज्ञापी की संतुष्टि हेतु यह स्थापित करने का दायित्व कि वह इस लाभ की हकदार नहीं है, ऐसी उत्पादन कंपनी का होगा। इस संबंध में लेखा परीक्षक का प्रमाणं पत्र इस उद्देश्य हेतु पर्याप्त माना जायेगा।

बशर्ते आगे यह कि जहां किसी विशिष्ट प्रकार की नवीकरणीय प्रौद्योगिकी हेतु केन्द्र सरकार या राज्य सरकार ने कोई उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना अधिसूचित की हुई है वहां ऐसी प्रौद्योगिकी आधारित उत्पादक स्टेशन्स, ऐसी योजना का लाभ प्राप्त किये माने जायेंगे तथा उनके शुल्क प्रति यूनिट GBI की राशि द्वारा स्वतः घटे हुए माने जायेंगे।

25. कर एवं शुल्क (Duties)

इन विनियमों के अधीन अवधारित शुल्क में उपयुक्त सरकार द्वारा उद्ग्रहित, आय पर प्रत्यय कर सम्मिलित होंगे किन्तु आयकर तथा शुल्क सम्मिलित नहीं होंगे। सामान्य शुल्क अवधारण हेतु प्रथम 10 वर्षों के लिये कर की दर 18.50 प्रतिशत तथा शेष अवधि के लिये 30 प्रतिशत का विचार किया गया है इसके साथ 5 प्रतिशत अधिभार तथा 3 प्रतिशत शिक्षा उपकर होगा।

परन्तु उपयुक्त सरकार द्वारा उदग्रहीत प्रत्यक्ष करों से अन्य कर तथा शुल्क वास्तव में उपगत हुए आधार पर पास थ्रू के रूप में अनुमोदित होंगे।

26. CUF से अधिक उत्पादन पर प्रोत्साहन

(1) सामान्य शुल्क हेतु विकल्प रखने वाली परियोजनाओं के लिये, समस्त स्थिर लागत वसूल हो जाने पर मानकीय CUF से अधिक उत्पादन के लिये शुल्क आयोग द्वारा अवधारित सामान्य शुल्क पर वसूल किये जाने की अनुमति होगी।

(2) परियोजना विशिष्ट शुल्क का विकल्प लेने वाली परियोजना के लिये CUF से अधिक उत्पादन हेतु (अर्थात अनुमोदित DPR में परिकल्पित CUF या अध्याय–5 के अधीन सुसंगत प्रौद्योगिकी हेतु विनिर्दिष्ट मानकीय CUF, जो अधिक हो) के लिये, संपूर्ण स्थिर लागत वसूल हो जाने पर, आयोग द्वारा अवधारित परियोजना विशिष्ट शुल्क पर वसूल किये जाने की अनुमति होगी।

27. RE स्रोतों के श्रेष्ठता क्रम की अनुप्रयोज्यता

पूंजी RE स्रोत प्रकृति के स्वभाव पर निर्भर हैं तथा लघु क्षमता में है अतः श्रेष्ठता, क्रम प्रेषण/क्रय का सिद्धान्त राज्य के भीतर स्थानीय ग्रामीण ग्रिड्स या वितरण अनुज्ञापी को ऐसे स्रोतों से ऊर्जा की आपूर्ति पर लागू नहीं होगा, अर्थात उन्हें आवश्यक रूप से चलाये जाने वाले स्टेशन माना जायेगा।

अध्याय 5

प्रौद्योगिकी विशिष्ट मानदंड

28. लघु हाइड्रो उत्पादन संयंत्र

लघु हाइड्रो उत्पादन स्टेशन्स के लिये सामान्य शुल्कों से अवधारण हेतु प्रौद्योगिकी विशिष्ट मानदंड निम्नलिखित होंगे :

01.04.2013 को या उसके पश्चात प्रवर्तन में आयी परियोजनाएं

परियोजना आकार	पूंजी लागत	प्रवर्तन में आने के वर्ष हेतु ओ & एम व्यय	क्षमता उपयोग कारक	अनुषंगी उपयोग
	(रु0 लाख/MW)	(रु0 लाख/MW)	(%)	(%)
5 MW तक	785	26.43	45%	1%
>5 MW व 15 MW तक	750	22.73		
>15 MW व 25 MW तक	715	19.03		

नोटः—

इस विनियम के उद्देश्य से मानकीय CUF अन्तः संयोजन बिंदु पर वाह्य प्रेषित ऊर्जा पर आधारित है तथा शुल्क के उद्देश्य से विकास कार्य द्वारा वचनबद्ध गृह राज्य को निःशुल्क ऊर्जा का ऊर्जा शुद्ध, यदि कोई है, शुल्क में विचारित माना जायेगा। सामान्य शुल्क अवधारण हेतु, गृह राज्य भाग 16 वें वर्ष से आगे 18 प्रतिशत लिया गया है।

29. रैन्किन सायकिल प्रौद्योगिकी पर आधारित बायोमास ऊर्जा परियोजनाएं

(1) वाटर कूल्ड कन्डेन्सर का उपयोग करने वाली रैन्किन साइकिल प्रौद्योगिकी पर आधारित बायोमास ऊर्जा परियोजनाओं के लिये सामान्य शुल्कों के अवधारण हेतु प्रौद्योगिकी विशिष्ट मानदंड निम्नलिखित होंगे :—

01.04.2013 को या उसके पश्चात प्रवर्तन में आयी परियोजनाएं

पूंजी लागत	प्रवर्तन में आने के वर्ष हेतु ओ–एम व्यय	स्टेशन ताप दर	ईंधन का कैलोरिफिक मूल्य	अनुषंगी उपभोग	क्षमता उपयोगिता कारक
(रु0 लाख/MW)	(रु0 लाख/MW)	(kCal/kWh)	(kCal/kg)		
445	25.37	4000	3300	10%	i. प्रथम वर्ष में –65% ii. द्वितीय वर्ष से आगे–80%

नोटः

(a) नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष अर्थात वित्त वर्ष 2013–14 में लिये बायोमास ईंधन मूल्य (p) रु0 1845@MT लिया जायेगा, जो कि क्रमशः 20%, 60% और 20% भारों के साथ ईंधन हैंडलिंग (WPI), सूचीबद्ध ऊर्जा प्रभार घटक (IRC) और परिवहन लागत (हाई स्पीड डीज़ल का मूल्य –Pd) हेतु वार्षिक स्फीति दर पर आधारित शुल्क अवधि में विभिन्न वर्षो के लिये निम्नलिखित फार्मूला अनुसार सूचीबद्ध किया जायेगा :

(b) $P(n)=P(n-1) *(0.2* (WPI(n)/WPI(n-1) + 0.6 * (1+IRC) (n-1) + 0.2 * (Pd(n)/Pd(n-1))))$

(c) तथापित चूँकि n वें वर्ष हेतु सूचकांक n वें वर्ष की समाप्ति के पश्चात ही ज्ञात हो पायेंगे अतः उत्पादक को पिछले वर्ष ईंधन लागत पर 5 प्रतिशत के मानवीय वृद्धिकारक के आधार पर n वें वर्ष हेतु ईंधन लागत बिल जारी करने की अनुमति होगी जिसे वर्ष हेतु वास्तविक सूचकांक के आधार समायोजन किया जायेगा।

(d) वैकल्पिक रुप से शुल्क अवधि से प्रत्येक पश्चातवर्ती वर्ष हेतु 5 प्रतिशत प्रति वर्ष का मानवीय वृद्धि कारक बायोमास परियोजना विकासक के विकल्प पर लागू होगा।

परन्तु उत्पादक को वितरण अनुज्ञापी को मानकीय अथवा सूचीबद्ध ईंधन लागत हेतु विकल्प प्रवर्तन में आगे की तिथि से कम से कम 3 माह पहले या इन विनियमों के जारी होने की तिथि से 1 माह पश्चात, दोनों में से जो बाद में हो, देना होगा। एक बार प्रयोग किए गए विकल्प को पी.पी.ए. की विधिमान्य अवधि के दौरान परिवर्तित करने की अनुमति नहीं होगी।

(2) वर्ष n हेतु शुल्क के ईंधन लागत घटक का निर्धारण निम्नलिखित तरीके से किया जायेगा।

$$\text{Rate of VariableCharge (Rs./kWh)} VC_n = \frac{\text{Gross Station Heat Rate (GSHR)}}{\text{Gross Calorific Value (GCV)}} x \frac{Pn}{(100-AUX)} \times 10$$

(3) ईंधन मिश्र –

(a) बायोमास ऊर्जा संयंत्र इस प्रकार अभिकल्पित किया जायेगा कि यह बायोमास ऊर्जा संयंत्र के सामीप्य में उपलब्ध भिन्न–भिन्न प्रकार के गैर जीवाश्म ईंधन, जैसे कि फसल के अपाशिष्ट, कृषि–औद्योगिक अवशिष्ट, वन अवशिष्ट इत्यादि तथा MNRE द्वारा स्वीकृत अन्य बायोमास ईंधन का उपयोग करें।

(b) बायोमास ऊर्जा उत्पादन कंपनियां यह सुनिश्चित करेंगी कि संबंधित परियोजना आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु ईंधन योजना बनाई जायें।

(4) जीवाश्म ईंधन का उपयोग

जीवाश्म ईंधन का उपयोग वार्षिक आधार पर कुल ईंधन उपभोग के 15 प्रतिशत तक सीमित किया जायेगा।

(5) जीवाश्म ईंधन के उपयोग हेतु क्रियाविधि का अनुश्रवण

(a) परियोजना विकासक मासिक विद्युत बिल के साथ प्रत्येक माह हेतु लाभार्थी को अधिकृत लेखाकार द्वारा विधिवत प्रमाणित मासिक ईंधन उपयोग विवरण तथा मासिक ईंधन अधिप्राप्ति विवरण प्रस्तुत करेगा, इस में निम्नलिखित विवरण होंगे–

(i) ऊर्जा उत्पादन के उद्देश्य से माह के दौरान उपभोग किये व प्राप्त किये प्रत्येक ईंधन प्रकार की संचयी मात्रा (टनों में)

(ii) वर्ष के दौरान उस माह के अंत तक उपभोग किये व प्राप्त किये प्रत्येक ईंधन प्रकार की संचयी मात्रा (टनों में)

(iii) माह के दौरान वास्तविक (कुल व शुद्ध) ऊर्जा उत्पादन (यूनिटों में अंकित)

(iv) वर्ष के दौरान उस माह के अंत तक संचयी वास्तविक (कुल व शुद्ध) ऊर्जा उत्पादन (यूनिटों में अंकित)

(v) प्रारम्भिक (Opening) ईंधन माल मात्रा (टनों में)

(vi) ऊर्जा संयंत्र स्थल पर ईंधन मात्रा (टनों में) की प्राप्ति

(vii) ऊर्जा संयंत्र स्थल पर उपलब्ध प्रत्येक ईंधन प्रकार (बायोमास तथा जीवाश्म ईंधन) हेतु समापन ईंधन माल मात्रा (टनों में)

(b) किसी वित्त वर्ष के दौरान परियोजना विकासकर्ता द्वारा जीवाश्म ईंधन उपयोग की शर्त के साथ अनानुपालन, बायोमास ऊर्जा परियोजना द्वारा उत्पादित ऊर्जा को उस वित्त वर्ष के दौरान नवीकरणीय स्रोत से उत्पादन के रुप में अयोग्य बना देगा। तथापि, ऐसी चूककर्ता बायोमास ऊर्जा परियोजना, वितरण अनुज्ञापी को ऊर्जा का विक्रय जारी रखेगी तथा जिस वित्त वर्ष में चूक हुई है उस वर्ष में दर उपयोग द्वारा विनिर्दिष्ट लागू परिवर्ती शुल्क से रु0 1/kWh कम दर होगी।

30. गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन परियोजनाएं

(1) गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन परियोजनाएं हेतु सामान्य शुल्क अवधारण के लिये प्रौद्योगिकी विशिष्ट मानदंड निम्नलिखित होंगे:

01.04.2013 को या उसके पश्चात प्रवर्तन में आई परियोजनाएं

पूंजी लागत (रु0 लाख/MW)	प्रवर्तन में आने के वर्ष हेतु ओ&एम व्यय (रु0 लाख/MW)	स्टेशन ताप दर (kCal/kWh)	ईंधन का केलोरिफिक मूल्य (kCal/kg)	अनुषंगी उपभोग	समता उपयोग कारक
420	16.92	3600	2250	8.5%	45%

(2) नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष अर्थात वित्त वर्ष 2013–14 के लिये ईंधन लागत (P) 1531/MT ली जायेगी जिसे ईंधन चढ़ाई–उतराई हेतु वार्षिक स्फीति दर (WPI) सूचकांकित ऊर्जा प्रभार घटक (RIC) तथा परिवहन लागत 3 गति डीजल हेतु कीमत PD के आधार पर शुल्क अवधि के भिन्न–भिन्न वर्षों के लिये निम्नलिखित फार्मूला के अनुसार क्रमशः 20 प्रतिशत, 60 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत भारों के साथ सूचकांकित किया जायेगा।

$$P_{(n)} = P_{(n-1)} * \{0.2 * (WPI_{(n)}/WPI_{(n-1)} + 0.6 * (1+IRC)_{(n-1)} + 0.2 * (Pd_{(n)}/Pd_{(n-1)}))\}$$

यद्यपि nवें वर्ष हेतु सूचकांक nवें वर्ष के अंत के पश्चात् ही ज्ञात होगा अतः उत्पादन कंपनी को पिछले वर्ष की ईंधन लागत पर 5 प्रतिशत के मानकीय वृद्धि कारक पर आधारित nवें वर्ष हेतु ईंधन

लागत, जो कि nवें वर्ष हेतु वास्तविक सूचकांक के आधार पर समायोजित की जायेगी, का बिल जारी करने की अनुमति होगी।

विकल्पतः, शुल्क अवधि में प्रत्येक पश्चात्वर्ती वर्ष के लिये 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष का मानकीय वृद्धि कारक गैर जीवाश्म परियोजना विकासकर्ता के विकल्प पर प्रयोज्य होगा।

बशर्ते उत्पादन कंपनी के लिये प्रवर्तन में आने की तिथि से कम से कम 3 माह पहले या इन विनियमों के जारी होने की तिथि से 1 माह पश्चात्, जो भी बाद में हो, मानकीय या सूचकांकित ईंधन लागत का अपना विकल्प वितरण अनुज्ञापी को देना आवश्यक होगा। एक बार प्रयोग किये गये विकल्प को पी.पी.ए. की विधिमान्य अवधि के दौरान परिवर्तित करने की अनुमति नहीं होगी।

(3) nवें वर्ष हेतु शुल्क ईंधन लागत घटक का निर्धारण निम्नलिखित तरीके से किया जायेगा:

$$\text{Rate of Variable Charge (Rs./kWh) } VC_n = \frac{\text{Gross Station Heat Rate (GSHR)}}{\text{Gross Calorific Value (GCV)}} \times \frac{P_n}{(100 - AUX)} \times 10$$

31. **बायोमास गैसीफायर ऊर्जा परियोजनाएं**

(1) बायोमास गैसीफायर ऊर्जा परियोजनाओं के लिये सामान्य शुल्कों के अवधारण हेतु प्रौद्योगिकी विशिष्ट मानदंड निम्नलिखित होंगे:

07.04.2013 को या उसके पश्चात् प्रवर्तन में आई परियोजनाएं

पूंजी लागत (रु0 लाख/MW)	प्रवर्तन में आने के वर्ष हेतु ओ & एम व्यय (रु0 लाख/MW)	विशिष्ट ईंधन उपभोग (kg/kWh)	अनुषंगी उपभोग	क्षमता उपयोगिता कारक
550	42.29	1.25	10%	85%

(2) नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष, अर्थात् वित्त वर्ष 2013–14 के लिये बायोमास ईंधन मूल्य (पी) रु0 1845/MT लिया जायेगा तथा क्रमशः 20 प्रतिशत, 60 प्रतिशत और 20 प्रतिशत के साथ ईंधन हैंडलिंग हेतु वार्षिक स्फीति दर (MPI), सूचीबद्ध ऊर्जा प्रभार घटक (IRC) और परिवर्तन लागत (उच्च गति डीजल के लिये मूल्य:Pd) के आधार पर शुल्क अवधि से विभिन्न वर्षों के लिये निम्नलिखित फार्मूला के अनुसार सूचीबद्ध किया जायेगा:–

(a) $P_{(n)} = P_{(n-1)} * \{0.2 * (WPI_{(n)}/WPI_{(n-1)} + 0.6 * (1+IRC)_{(n-1)} + 0.2 * (Pd_{(n)}/Pd_{(n-1)}))\}$

(b) तथापि, चूंकि nवें वर्ष के लिये सूचकांक nवें वर्ष के अंत के पश्चात ही ज्ञात होगा अतः उत्पादक कंपनी को पिछले वर्ष की ईंधन लागत पर 5 प्रतिशत के मानकीय वृद्धि कारक पर आधारित nवें वर्ष हेतु ईंधन लागत, जो कि nवें वर्ष हेतु वास्तविक सूचकांक के आधार पर समायोजित की जायेगी, का बिल जारी करने की अनुमति होगी।

(c) विकल्पतः, शुल्क अविध के प्रत्येक पश्चात्वर्ती वर्ष के लिये 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष का मानकीय वृद्धि कारक गैर जीवाश्म परियोजना विकासकर्ता के विकल्प पर प्रयोत्य होगा।

बशर्ते उत्पादक के लिये, प्रवर्तन में आते ही तिथि ये कम से कम 3 माह पहले या इन विनियमों के जारी होने की तिथि से 1 माह पश्चात्, जो भी बाद में हो, मानकीय या सूचकांकित ईंधन लागत का अपना विकल्प वितरण अनुज्ञापी को देना आवश्यक होगा। एक बार प्रयोग किये गये विकल्प को पी.पी.ए. को विधिमान्य अवधि के दौरा परिवर्तित करने की अनुमति नहीं होगी।

(3) n वें वर्ष हेतु शुल्क में ईंधन लगात घटक को परिकलन निम्नलिखित तरीक़े से किया जायेगा :

$$\text{Rate of Variable Charge (Rs./kWh)} VC_n = \text{Specific Fuel Consumption} \times \frac{Pn}{(100 - AUX)} \times 10$$

(4) ईंधन मिश्र

(a) बायोमास गैसीफायर आधारित ऊर्जा संयंत्र को इस प्रकार डिजायन किया जायेगा कि यह बायोमास ऊर्जा संयंत्र के आस—पास उपलब्ध विभिन्न प्रकार के गैर जीवाश्म ईंधनों जैसे फसल—अवशिष्ट, कृषि औद्योगिक अवशिष्ट, वन अवशिष्ट तथा MNRE द्वारा अनुमोदित अन्य बायोमास ईंधनों का प्रयोग करें।

(b) बायोमास गैसीफायर आधारित ऊर्जा उत्पादन कंपनियां, संबंधित परियोजना आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये ईंधन प्रबंधक योजना सुनिश्चित करेंगी।

32. **बायोगैस आधारित ऊर्जा परियोजनाएं—**

(1) यहां नीचे विनिर्दिष्ट शुल्क अवधारण के मानक उन ग्रिड संयोजित बायोगैस आधारित ऊर्जा संयंत्रों से लिये है जो MNRE द्वारा अनुमोदित कृषि अवशिष्टों, खाद या अन्य बायो अवशेषों को को—डाइजेस्ट करने के लिये बायोगैस प्रौद्योगिकी के साथ 100 प्रतिशत बायोगैस फायर्ड इंजन का उपयोग करते हों। बायोगैस आधारित ऊर्जा संयंत्रों के लिये सामान्य शुल्कों में अवधारण हेतु प्रौद्योगिकी विशिष्ट मानदंड निम्नलिखित होंगे:

01.04.2013 को या उसके पश्चात् प्रवर्तन में आई परियोजना

पूंजी लागत (रु0 लाख/MW)	प्रवर्तन में आने के वर्ष हेतु ओ & एम व्यय (रु0 लाख/MW)	विशिष्ट ईंधन उपभोग (kg/kWh)	अनुषंगी उपयोग	क्षमता उपयोगिता कारक
1100	42.29	3.00	12%	90%

(2) नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष अर्थात वित्त वर्ष 2013–14 हेतु फीड स्टॉक मूल्य रु0 1040/MT (डाइजेस्टर एफ्लूएंट से किसी लागत वसूली का शुद्ध) लिया जायेगा, जिसे क्रमशः 20 प्रतिशत, 60 प्रतिशत और 20 प्रतिशत के साथ ईंधन हैंडलिंग हेतु वार्षिक स्फीति दर (WPI) सूचीबद्ध ऊर्जा प्रभार घटक (IRC) और परिवहन लागत (उच्च गति डीजल हेतु मूल्य) पर आधारित शुल्क अवधि के विभिन्न वर्षों के लिये निम्नलिखित फार्मूला के अनुसार सूचीबद्ध किया जायेगाः—

(a) $P_{(n)} = P_{(n-1)} * \{0.2 * (WPI_{(n)}/WPI_{(n-1)} + 0.6 * (1+IRC)_{(n-1)} + 0.2 * (Pd_{(n)}/Pd_{(n-1)})))\}$

(b) तथापि चूंकि nवें वर्ष हेतु सूचकांक, nवें वर्ष के अंत के पश्चात् ही ज्ञात होगा अतः उत्पादन कंपनी को पिछले वर्ष की ईंधन लागत पर 5 प्रतिशत के मानकीय वृद्धि कारक पर आधारित nवें वर्ष हेतु ईंधन लागत, जो कि nवें वर्ष हेतु वास्तविक सूचकांक के आधार पर समायोजित की जायेगी, का बिल जारी करने की अनुमति होगी।

(c) विकल्पतः शुल्क अवधि के प्रत्येक पश्चात्वर्षी वर्ष के लिये 5% प्रति वर्ष का मानकीय वृद्धिकारक गैर जीवाश्म परियोजना विकासकर्ता के विकल्प पर प्रयोज्य होगा।

बशर्ते उत्पादन कंपनी के लिये प्रवर्तन में आने की तिथि से कम से कम 3 माह पहले या इन विनियमों के जारी होने की तिथि से एक माह पश्चात्, जो भी बाद में हो, मानकीय या सूचकांकित ईंधन लागत का अपना विकल्प वितरण अनुज्ञापी को देना होगा। एक बार प्रयोग किये गये विकल्प को पी.पी.ए. की विधिमान्य अवधि के दौरान परिवर्तित करने की अनुमति नहीं होगी।

(3) n वें वर्ष हेतु शुल्क में ईंधन लागत घटक का परिकलन निम्न निम्नलिखित तरीके से किया जायेगाः

$$\left[\text{Rate of Variable Charge (Rs./kWh) } VC_n = \text{Specific Fuel Consumption } \times \frac{Pn}{(100 - AUX)} \times 10\right]$$

33. सौर PV ऊर्जा परियोजना

इन विनियमों के अधीन सौर फोटो वोल्टैक (PV) ऊर्जा के लिये मानक एसी ग्रिड संयोजित PV प्रणालियों पर लागू होंगे जो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में परिवर्तित करती हैं, तथा जो एक MNRE द्वारा अनुमोदित क्रिस्टलीन सिल्किन या थिन फिल्म इत्यादि जैसे प्रौद्योगिकियों पर आधारित होती हैं। सौर PV ऊर्जा परियोजनाओं हेतु सामान्य शुल्क के अवधारण के लिये प्रौद्योगिकी विशिष्ट मानदंड निम्नलिखित होंगेः

01.04.2013 को या उसके पश्चात् प्रवर्तन में आई परियोजनाएं

पूंजी लागत (रू. लाख/MW)	प्रवर्तन मे आने के वर्ष हेतु ओ & एम व्यय (रू. लाख/MW)	क्षमता उपयोग कारक
1000	11.63	19 %

32

34. सौर तापीय ऊर्जा परियोजना

इन विनियमों के अधीन सौर तापीय ऊर्जा हेतु मानक, MNRE द्वारा अनुमोदित उन संकेन्द्रित सौर ऊर्जा (CSP) प्रौद्योगिकी यथा लाईन फोकसिंग या पोईन्ट फोकसिंग हेतु लागू होंगे जो उच्च घनत्व प्राप्त करने के लिये कई गुना संकेन्द्रण कर सीधे सूर्य में प्रकाशन का उपयोग करती है जिसके फलस्वरूप उत्पदित ताप का उपयोग विद्युत उत्पादन हेतु परम्परागत ऊर्जा चक्र को परिचालित करने के लिये किया जाता है। सौर तापीय ऊर्जा परियोजनाओं हेतु सामान्य शुल्कों में अवधारण के लिये प्रौद्योगिकी विशिष्ट मानदंड निम्निलिखित होंगे:

1.04.2013 को या उसके पश्चात प्रवर्तन मे आई योजनाएं

पूंजी लागत	प्रवर्तन में आने के वर्ष हेतु ओ & एम व्यय	क्षमता उपयोग कारण	अनुषंगी उपयोग
(रू. लाख/MW)	(रू. लाख/MW)		
1300	15.86	23 %	10%

35. ग्रिड इन्टरैक्टिव रूफ् टॉप एवं लघु सौर PV परियोजनाऐं

(1) ग्रिड इन्टरेक्टिव रूफ टॉप लघु सौर PV परियोजनाओं के लिये सामान्य शुल्क के अवधारण हेतु प्रौद्योगिकी विशिष्ट मानदंड निम्न लिखित होंगे:

01.04.2013 को या उसके पश्चात प्रवर्तन में आई परियोजनाएं

पूंजी लागत	प्रवर्तन मे आने के वर्ष हेतु ओ &एम व्यय	क्षमता उपयोग कारक
(रू. लाख/MW)	(रू. लाख/MW)	
1025	11.63	19 %

(2) किसी व्यक्ति द्वारा एक अनुज्ञापी की वितरण प्रणाली मे अन्तः क्षेपित किये जाने के लिये रूफ टॉप सौर स्रोतों को संस्थापित किया जा सकता है।

(3) उपरोक्त उपभोक्ता (ओं) के रूफ् टॉप सौर PV स्रोतों से ऐसे अन्तः क्षेपण को प्रत्येक बिलिंग चक्र के अंत मे शुद्ध ऊर्जा आधार पर तय किया जायेगा।

(4) वितरण अनुज्ञापी द्वारा उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति के संबंध मे आयोग के शुल्क आदेश के अनुसार शुल्क बिलिंग अवधि में अनुज्ञापी द्वारा आपूर्ति की गई शुद्ध ऊर्जा हेतु लागू होगा यदि अनुज्ञापी द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा उपभोक्ता (ओं) के रूफ् टॉप सौर पी वी स्रोतों द्वारा अन्तः क्षेपित ऊर्जा से अधिक है।

(5) यदि किसी बिलिंग अवधि में अनुज्ञापी द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा उपभोक्ता (ओ) मे रूफ् टॉप सौर PV स्रोतों द्वारा अन्तः क्षेपित ऊर्जा से कम है तो उपभोक्ता द्वारा आपूर्ति की गई अधिक ऊर्जा के लिये इन विनियमों में विनिर्दिष्ट सामान्य शुल्क पर अनुज्ञापी को बिल दिया जायेगा।

36. पवन ऊर्जा

पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिये सामान्य शुल्क में अवधारण हेतु प्रौद्योगिक विशिष्ट मानदंड निम्नलिखित होंगे।

01.04.2013 को या उसके पश्चात प्रवर्तन में आई परियोजनाएं

पूंजी लागत (रू. लाख/MW)	प्रवर्तन मे आने के वर्ष हेतु ओ एंड एम व्यय (रू. लाख/MW)	वार्षिक औसत पवन ऊर्जा घनत्व (W/m²)	क्षमता उपयोग कारक
515	9.51	200 तक	20%
		201-250	22%
		251-300	25%
		301-400	30%
		>400	32%

नोटः

(a) शुल्क की प्रयोज्यता हेतु उत्पादन कंपनी वार्षिक औसत पवन ऊर्जा घनत्व पर विधिवत मान्य जानकारी प्रदान करायेगी। उपर विनिर्दिष्ट वार्षिक औसत पवन ऊर्जा घनत्व को 80 मीटर तक ऊंचाई पर नापा जायेगा।

(b) पवन ऊर्जा परियेाजना में पवन नाप हेतु एम एन आर ई दिशा निर्देशों के अनुसार किसी विशेष पवन जोन वर्ग में वर्गीकरण हेतु C-WET द्वारा या C-WET द्वारा विधिवत मान्य किसी निजी विकास कर्ता द्वारा लगाये गये पवन मस्तूल हो सामान्यतया समान भूक्षेत्र के लिये सभी दिशाओं में मस्तूल बिन्दु से 10 कि.मी. विस्तारित किया जायेगा तथा स्थल की जटिलता अनुसार जटिल भूस्खलन मे उपयुक्त सीमा तक सीमित होगा। C-WET द्वारा ऐसी विधि मान्यता के आधार पर राज्य नोडल एजेन्सी को प्रस्तावित पवन कार्य कम्प्लैक्स की जोनिंग को प्रमाणित करना चाहिए।

37. सामान्य शुल्क

उपर्युक्त प्रौद्योगिकियों के लिये सामान्य शुल्क **परिशिष्ट 1** में दिये गये हैं।

अध्याय—6

प्रकीर्ण

30. पारेषण प्रभार, व्हीलिंग प्रभार और हानियां

(1) पारेषण प्रभार उपयोग से संयंत्र तक RE आधारित उत्पादन स्टेशनों या सह—उत्पादन स्टेशनों द्वारा उत्पादित विद्युत ले जाने के लिये राज्य के भीतर पारेषण प्रणाली को भेदभाव रहित उन्मुक्त अभिगमन हेतु यथा स्थिति RE उत्पादक या उपभोक्ता को राज्य के भीतर पारेषण प्रणाली तथा वितरण प्रणाली के राज्यान्तर्गत उपयोग हेतु पारेषण प्रभार और व्हीलिंग प्रभार का भुगतान करना होगा जिस का परिकलन उविनिआ (राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन के निबंधनएवं शर्तें) विनियम 2010 में विनिर्दिष्ट सिद्धान्तों के आधार पर किया जायेगा।

बशर्ते राज्य के भीतर स्थानीय ग्रिड या वितरण अनुज्ञापी को विद्युत के विक्रय हेतु कोई पारेषण या व्हीलिंग प्रभार देय नहीं है।

बशर्ते आगे यह कि जहां एक उत्पादन कंपनी राज्य के बाहर विद्युत की आपूर्ति का प्रस्ताव रखती हैं वहां ऐसी उत्पादन कंपनी को ऊपर विनिर्दिष्ट पारेषण व्हीलिंग प्रभारो के अतिरिक्त केवल ऐसी ऊर्जा के निष्क्रमण हेतु उपयोग में लाये गये पारेषण/वितरण अनुज्ञापी की समर्पित लाइनों और उप स्टेशन के लिये प्रत्येक मामले मे अलग—अलग, आयोग द्वारा निर्धारित पारेषण/व्हीलिंग प्रभार वहन करने होंगे।

आगे यह भी कि यदि एक से अधिक उत्पादक, अपनी ऊर्जा के निष्क्रमण हेतु पारेषण/वितरण अनुज्ञापी की साझा समर्पित पारेषण वितरण प्रणाली पर राज्य के बाहर विद्युत आपूर्ति करना प्रस्तावित करते हैं वहां ऐसी उत्पादन कंपनी को विनिर्दिष्ट प्रभारों के अतिरिक्त, संस्थापित क्षमता पर यथानुपात आधार पर केवल ऐसी ऊर्जा में निष्क्रमण हेतु उपयोग में लाये गये पारेषण/वितरण अनुज्ञापी की समर्पित लाईनों और उपस्टेशन के लियें प्रत्येक मामलें में अलग—अलग आयोग द्वारा निर्धारित पारेषण/व्हीलिंग प्रभार वहन करने होंगे।

(2) पारेषण और व्हीलिंग प्रभारों के अतिरिक्त राज्यान्तर्गत पारेषण/वितरण प्रणाली तथा समर्पित लाईनों व उप स्टेशनों में हानियां यदि उपरोक्तानुसार लागू हों तो उन्हें उविनिआ(राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन के निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2010 में विनिर्दिष्ट सिद्धान्तों के आधार पर वस्तुरूप में समायोजित किया जायेगा।

आगे यह भी कि राज्य के भीतर वितरण अनुज्ञापी को स्थानीय ग्रामीण ग्रिड को विद्युत में विक्रय हेतु किन्हीं हानियों को वस्तु रूप मे समायोजित नहीं किया जायेगा।

39. **ऊर्जा का निष्क्रमण**

(1) पारेषण अनुज्ञापी तथा वितरण अनुज्ञापी, समीपस्थ उपस्टेशन, अधिमानरूप से ऐसे उत्पादन स्टेशन से 10 कि.मी. की परिधि में RE आधारित उत्पादन स्टेशनों तथा उत्पादन स्टेशनों को संयोजिता प्रदान करने का प्रयास करेंगे,इसके अतिरिक्त वे CEA द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार ग्रिड के साथ संयोजिता तथा निर्माण और विद्युत लाईनों के लिये तकनीकी मानकों व तकनीकी साध्यता के अधीन उपयुक्त वोल्टेज स्तर पर संयोजिता प्रदान करनेके लिये परस्पर सहमति कर सकते है।

(2) यदि उत्पादन कंपनी निष्क्रमण प्रणाली के निर्माण का विकल्प रखती है जिसमें पारेषण/वितरण अनुज्ञापी से समीपस्थ उप स्टेशन तक पारेषण/वितरण लाईन, आवश्यक बे, टर्मिनल उपकरण और संबद्ध एक कालक उपकरण इत्यादि सम्मिलित हैं तो ऐसी निष्क्रमण प्रणाली की लागत उत्पादन स्टेशन द्वारा वहन की जायेगी।

उत्पादन स्टेशन, राज्य पारेषण/वितरण अनुज्ञापी द्वारा किये जा रहे ऊर्जा निष्क्रमण प्रणाली का निर्माण कार्य भी करा सकता है।

बशर्ते आगे यह कि बे विस्तार हेतु भूमि उप–स्टेशन मे मालिक द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी।

40. **पारेषण लाईनों तथा उपकरणों का अनुरक्षण**

(1) उत्पादन स्थल पर टर्मिनल उपकरण तथा ऐसे उत्पादन स्टेशन के स्वामित्व वाली समर्पित लाईनों के अनुरक्षण हेतु उत्पादन स्टेशन उत्तरदायी होगा। यद्यपि यदि उत्पादन कंपनी चाहे तो यथा स्थिति वितरण/पारेषण अनुज्ञापी परस्पर सहमत प्रभारों पर समर्पित पारेषण का अनुरक्षण कर सकते है।

(2) यथा स्थिति वितरण अनुज्ञापी या पारेषण अनुज्ञापी या पारेषण युटीलिटी संबंधित अनुज्ञापी के उप स्टेशन पर टर्मिनल उपकरण (णों) के अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी होगा।

41. **SLDC प्रभार**

राज्य विरण अनुज्ञापी से अन्यथा किसी व्यक्ति की या स्थानीय ग्रामीण ग्रिड को विक्रय हेतु IEGC तथा राज्य ग्रिड संहिता के अनुसार ईष्टतम अनसूचीकरण तथा प्रेषण के सिद्धान्त लागू होंगे तथा इस उद्देश्य से RE आधारित उत्पादन स्टेशन और सह–उत्पादन स्टेशन्स द्वारा ऐसी फीस का भुगतान SLDC को करना होगा जैसा उविनिआ (राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन के निबंधन एवं शर्ते) विनियम, 2010 के अधीन विनिर्दिष्ट की गई है।

42. **ग्रिड इन्टरैक्टिव रूफ़ टॉप और लघु सौर PV संयंत्रों के लिये संयोजित और मीटरिंग व्यवस्था**

(1) रूफ़–टॉप सौर PV स्रोतों को अनुज्ञापी की वितरण प्रणाली में निम्नलिखित वोल्टेज स्तर संयोजिता अनुमोदित होगीः

(i) 4 kW भार तकः निम्न वोल्टेज सिंगल फेज आपूर्ति।

(ii) भार > 4 kW से 75 kW तक : निम्न वोल्टेज तीन फेज आपूर्ति।

(iii) भार > 75 kW से 1.5 MW : 11 kV पर।

(iv) भार > 1.5 MW से 3 MW तक : 11/33 kV या स्थल परिस्थितियों के अनुसार।

(2) यदि ग्रिड के साथ ऐसे स्रोतों को संयोजिता के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो मामला आयोग को संदर्भित किया जायेगा जिसका निर्णय इस संबंध में अंतिम होगा।

(3) अनुज्ञापी की स्रोतों से उपभोक्ता (ओं) को तथा रूफ टॉप सौर PV स्रोतों से अनुज्ञापी की वितरण प्रणाली को विद्युत की आपूर्ति को या तो दो पृथक मीटरों द्वारा नापा जायेगा जिनकी रीडिंग को शुद्ध आधार पर निपटान हेतु प्रत्येक बिलिंग अवधि में उपयोग किया जायेगा या विकल्पतः एक आयात निर्यात प्रकार के मीटर द्वारा जो शुद्ध विनियम को सीधे नापने के लिये उपयुक्त हो।

(4) जेनरेटर छोर पर संरक्षण व्यवस्था और मीटरिंग, स्विंच गियर की लागत को सौर जेनरेटर्स के स्वामी द्वारा वहन किया जायेगा।

43. मीटरिंग व्यवस्था

(1) राज्य वितरण अनुज्ञापियों या स्थानीय ग्रामीण ग्रिड को विक्रय हेतु RE आधारित उत्पादन स्टेशन तथा सह–उत्पादन स्टेशन CEA द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में मीटरों मे संस्थापन के विनियमों का अनुपालन करते हुए विनियम 3(1) (V) के अधीन परिभाषित रूप में अन्तः संयोजन के बिन्दु पर मीटर्स उपलब्ध करायेंगी।

(2) राज्य वितरण अनुज्ञापियों या स्थानीय ग्रामीण ग्रिड से अन्यथा किसी व्यक्ति को विक्रय हेतु RE आधारित उत्पादन स्टेशन्स तथा सह–उत्पादन स्टेशन्स, CEA द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में मीटरों की संस्थापना के विनियमों का अनुपालन करते हुए अन्तः संयोजन के बिन्दु पर एबीटी अनुकूल विशेष ऊर्जा मीटर्स उपलब्ध करायेंगी।

44. ऊर्जा लेखाकरण और बिलिंग

राज्य भार प्रेषण केन्द्र, जेनरेटर्स द्वारा प्रेषित ऊर्जा का अनुसूचीकरण और लेखा करण करेगा तथा इसे आई.ई.जी.सी. राज्य ग्रेड संहिता और उन्मुक्त अभिगमन विनियमों में उपबंधों के अनुसरण में SLDC द्वारा संरचित योजना के अनुसार ग्रिड के साथ आदान प्रदान कर रही कंपनियों को संप्रेषित किया जायेगा। उन्मुक्त अभिगमन लेन–देनों हेतु बिलिंग उन्मुक्त अभिगमन विनियमों के अनुसार की जायेगी।

परन्तु क्षेत्र के वितरण अनुज्ञापी को विक्रय के मामले में ऊर्जा क्रय करार संयुक्त मीटरिंग उपबंधित कर सकता है तथा ऐसे मामलों में ऊर्जा लेखाकरण तथा बिलिंग, संबंधित विवरण अनुज्ञापी के साथ मिला कर उत्पादन स्टेशन द्वारा किये जायेंगे।

45. **उत्पादन स्टेशन द्वारा विद्युत का क्रय/स्टार्ट अप ऊर्जा**

(1) कोई व्यक्ति जो उत्पादन स्टेशन स्थापित, अनुरक्षित व परिचालित करता है तथा जिसे वर्ष भर अनुज्ञापी से ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात जो अनुज्ञापी का उपभोक्ता नही है वह उत्पादन कंपनी या वितरण अनुज्ञापी से तब विद्युत क्रय कर सकता है जब उसके अपने उपभोग की आवश्यकता पूरी करने के या स्टार्ट अप के लिये उसका अपना संयंत्र विद्युत उत्पादन करने की स्थिति में नहीं है तथा परिणाम स्वरूप वितरण अनुज्ञापी से विद्युत प्राप्त करने की आवश्यकता है।

(2) यदि संयंत्र से उत्पादित की जा रही विद्युत अनन्य रूप से राज्य वितरण अनुज्ञापी को विक्रय की जा रही है तो स्टार्टअप या स्वयं के उपभोग की अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिये राज्य वितरण अनुज्ञापी से उत्पादन स्टेशन द्वारा अधिप्राप्त विद्युत (KW में) का समायोजन वितरण अनुज्ञापी को विक्रय की गई विद्युत से मासिक आधार पर किया जायेगा। वितरण अनुज्ञापी, उत्पादन कंपनी द्वारा इस को बेची गई शुद्ध ऊर्जा अर्थात ग्रिड में अनाःक्षेपित कुल ऊर्जा और उत्पादन कंपनी द्वारा ग्रिड से निकाली गई ऊर्जा से अन्तर के लिये भुगतान करेगा। यदि वितरण अुनज्ञापी द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा उत्पादन कंपनी द्वारा अन्तःक्षेपित ऊर्जा से अधिक है तो उसकी शुद्ध ऊर्जा (KW में) नीचे उप–विनियम (3) के अनुसार वितरण अनुज्ञापी को बिल की जायेगी।

(3) यदि संयंत्र से उत्पादित विद्युत राज्य वितरण अनुज्ञापी से अन्यथा किसी तृतीय पक्ष को बेची जाती है तो वितरण अनुज्ञापी से उत्पादन कंपनी द्वारा इस प्रकार क्रय की गई विद्युत पर, उस माह हेतु संविदाकृत मांग के रूप में माह के दौरान अधिकतम मांग का विचार करते हुए औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिये उपयुक्त शुल्क की दर अनुसूची" के अधीन अस्थायी आपूर्ति के लिये आयोग द्वारा अवधारित किये अनुसार, प्रभार लगेगा। उस माह हेतु स्थिर/मांग प्रभार उतने दिनों के लिये देय होगा जितने दिनों के लिये ऐसी आपूर्ति ली जाती है। तथापि ऐसी उत्पादन कंपनी को मासिक न्यूनतम प्रभार या मासिक न्यूनतम उपभोग गांरटी प्रभार या किन्हीं अन्य प्रभारों के भुगतान से छूट होगी।

46. **ऊर्जा की बैंकिग (केवल कैप्टिव उत्पादन संयंत्रों एवं गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन स्टेशनों के मामले में लागू)**

(1) उत्पादन स्टेशनों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संयंत्र की स्थिति या बंदी या अनुरक्षण की स्थिति में बैंक की गई ऊर्जा की निकासी के उद्देश्य हेतु एक कैलेंडर माह की अवधि के भीतर ऊर्जा बैंक करने की अनुमति होगी:

(a) संयंत्र और वितरण अनुज्ञापी के मध्य सहमत हुए अनुसार 100 प्रतिशत तक ऊर्जा की बैंकिंग केवल शुल्क आदेशों में समय–समय पर पीक आवर्स के रूप में आयोग द्वारा घोषित अवधि के दौरान अनुमोदित होगी।

(b) ऊर्जा की निकासी केवल शुल्क आदेशों में सयम–समय पर पीक आवर्स के रूप मे आयोग द्वारा घोषित अवधि से अन्यथा अवधि के दौरान अनुमोदित होगी।

(c) संयंत्र ABT अनुपालन विशेष ऊर्जा मीटर्स उपलब्ध करायेगा तथा ऊर्जा विक्रय का मासिक निपटान SEM मीटरी रीडिंग के अनुसार पीक आवर्स के दौरान आपूर्ति की गई ऊर्जा के आधार पर किया जायेगा तथा इसे बैंक की गई ऊर्जा समझा जायेगा।

(d) राज्य में राज्य के भीतर ABT की शुरूआत होने पर बैंक की गई ऊर्जा बैंकिंग व निकासी अगले दिन के सूचीकरण के आधीन होगी।

(e) SEM मीटरों द्वारा अभिनिश्चित, संचय द्वारा प्रत्याहित ऊर्जा, जिसे बैंक की गई ऊर्जा से निकासी नहीं माना जा सकता, संयंत्र द्वारा क्रय की गई ऊर्जा मानी जायेगी।

(f) खण्ड (E) के अधीन या अन्यथा संयंत्र द्वारा ऊर्जा का क्रय उपरोक्त विनिमय 45 के उपबंधों के अनुसार प्रभावित किया जायेगा।

(g) एक उत्पादन स्टेशन को ऐसी निकासी की अनुमति होगी जिसे किसी वित्त वर्ष विशेष में उसी वर्ष की अवधि में बैंक किया गया था।

(h) वित्त वर्ष की समाप्ति पर उपयोग न हुई शेष बैंक की गई ऊर्जा को विक्रय माना जायेगा नया वित्तीय निपटान, उस वर्ष जिस में ऊर्जा बैंक की गई थी, के लिये अपने शुल्क आदेशों में आयोग द्वारा अवधारित शुल्क पर या गैर जीवाश्म ईधन आधारित सह–उत्पादन स्टेशन के मामले में आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट सामान्य शुल्क पर किया जायेगा। ऐसी उपयोग न की गई बैंक की हुई ऊर्जा से कोई बैंकिंग प्रभार घटायें नहीं जायेंगे।

(i) बैंकिग प्रभार, बैंक की गई ऊर्जा में 12.5% होगी।

(j) एक गैरजीवाश्म ईधन आधारित सह–उत्पादन स्टेशन, जो कि एक कैप्टिव उत्पादन सयंत्र नही है, के मामलों में बैंकिंग की सुविधा केवल तब लागू होगी जब इसके पास राज्य में विवरण अनुज्ञापी के साथ पीपीए हो।

47. **समझा गया उत्पादन (Deemand Generation)**

(केवल लघु हायड्रो उत्पादन संयंत्रों और सौर PV एवं सौर तापीय परियोजनाओं के मामलों में लागू)

(1) परियोजना के सीओडी के पश्चात निम्नलिखित कारणों या निम्नलिखित में एक किसी कारण से स्टेशन पर उत्पादन की हानि की गिनती, समझे गये उत्पादन की हानि में होगी।

– अन्तः संयोजन बिन्दु से आगे निष्क्रमण प्रणाली की अनुपलब्धता

– SLDC बैंकिंग डाउन अनुदेशों को प्राप्ति।

बशर्ते समझे गये उत्पादन में निम्नलिखित को नहीं गिना जायेगा:

(i) स्टेशन पर उत्पादन द्वारा पूर्वोक्त कारक(कों) से किन्तु अपरिहार्य घटना(ओं) से।

(ii) उस अवधि के दौरान उपरोक्त कारक(कों) के फलस्वरूप व्यवधान आउटेज के कारण स्टेशन पर उत्पादन की हानि उपरोक्त के अधीन को छोड़ कर अन्यथा आउटेजेज/व्यवधान की कुल अवधि निम्न लिखित सीमा के भीतर है

— लघु हायड्रो परियोजना के मामलों में एक माह में 48 घण्टे सौर PV और

— तापीय परियोजना के मामलों में एक माह से 60 घण्टे।

परन्तु आगे यह कि एक माह में 60 घण्टे की संख्या ज्ञात करनें के लिए सांय 18:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक की अवधि में व्यवधान/आउटेजेज को नहीं गिना जायेगा।

(2) वितरण अनुज्ञापी को घोषित वोल्टेज में संदर्भ में यहां नीचे दी गई सीमा के भीतर परियोजना के साथ अन्तः संयोजन के बिन्दु तक वोल्टेज बनाये रखना आवश्यक होगा।

(i) उच्च वोल्टेज के मामलों में +6% और–9%

(ii) अति उच्च वोल्टेज के मामलों में +10% और–12.5%

दिनांक 01.04.2013 से प्रभावी, उपरोक्त विनिर्दिष्ट सीमाओं से आगे वोल्टेज परिवर्तन के कारण उत्पादन में किसी हानि को समझा गया उत्पादन माना जायेगा बशर्ते कि उत्पादन की ऐसी हानि के कारण क्षमता आउटपुट के 25% से अधिक की कमी हुई है।

(3) उपरोक्त उप–विनियम 1 और 2 में विनिर्दिष्ट ऐसे कारक (कों) के कारण आउटेज/व्यवधान की अवधि का मासिक आधार पर मिलान किया जायेगा तथा उपरोक्त उप–विनियम 1 (i) व (ii) के अधीन विनिर्दिष्ट घटनाओं ध्यान में रखते हुए, समझे गये (Deemed) उत्पादन की स्टेशन पर उत्पादन की हानि की निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए संगणना की जायेगी।

(i) उपरोक्त के कारण वसूली की अनुमति तब होगी जब वर्ष के दौरान उत्पादित वास्तवित ऊर्जा, लघु हायड्रों परियोजनाओं और सौर PV तथा सौर तापीय परियोजनाओं (सामान्य शुल्क हेतु विकल्प देने वाली परियोजनाओं के मामलों में) हेतु विनियम में विनिर्दिष्ट माननीय CUF या लघु हायड्रों परियोंजनाओं और सौर PV तथा और सौर तापीय परियोजनाओं हेतु स्थिर प्रभारों (परियोजना के मामलों में विशिष्ट शुल्क लागू है) की वसूली हेतु CUF से कम है। यदि वास्तविक उत्पादित ऊर्जा तथा वर्ष के दौरान समझे गये उत्पादन का योग उस CUF से अधिक होता है जिस पर स्थिर प्रभारों की वसूली तय की गई है तो समझा गया उत्पादन तथा साथ ही वास्तविक उत्पादित ऊर्जा को केवल विचारित CUF तक अनुमोदित किया जायेगा।

(ii) उपरोक्त उप–विनियम (1) के अनुसार, समझे गये वर्ष के दौरान यदि कुछ है, तो वह यथानुपात आधार पर उस माह की अवधि में प्राप्त वास्तविक औसत पर आधारित किये हुए घण्टों की संख्या

को प्रणाली में आउटेजेज/व्यवधान हुए घण्टों की संख्या घटा कर माह के दौरान उपलब्ध घण्टों की कुल संख्या से विभाजित कर विचारित की जायेगी।

(iii) उप–विनियम (2) के अनुसार, समझे गये उत्पादन (MWh में) में उत्पादन हानि, माह के दौरान यदि कुछ है, तो वह विनिर्दिष्ट सीमा से आगे वोल्टेज में रहे परिवर्तन के घण्टों की संख्या और विनिर्दिष्ट सीमा से आगे वोल्टेज में परिवर्तन के कारण उत्पादन हानि (MW में) के योग से प्राप्त संख्या पर विचारित की जायेगी। उत्पादन हानि (MW में) निम्नलिखित के मध्य का अंतर होगा:

(a) वोल्टेज में परिर्वतन होने से पहले वास्तविक उत्पादन (MW में) का न्यूनतम तथा विनिर्दिष्ट सीमा के भीतर वोल्टेज की बहाली में परिवर्तन के ठीक 90 मिनट बाद प्राप्त उत्पादन (MW में) को वोल्टेज परिवर्तन होने के समय का वास्तविक उत्पादन माना जायेगा। तथा

(b) वोल्टेज में परिवर्तन होने के समय प्राप्त उत्पादन।

(4) वितरण अनुज्ञापी, आयोग द्वारा समय–समय संशोधित RE विनियमों के उपबंधों के अधीन सामान्य/परियेाजना विशिष्ट शुल्कों पर उपरोक्त लाईनों पर समझे गये उत्पादन के आधार पर निकाले गये लघु हायड्रो परियोजनाओं और सौर PV तथा सौर तापीय परियोजनाओं हेतु वार्षिक आधार पर विक्रय योग्य, समझे गये उत्पादन के लिये भुगतान करेगा। समझे गये उत्पादन प्रभारों के भुगतान का निपटान वित्त वर्ष के पूर्ण होने पर 3 माह के भीतर किया जायेगा।

(5) समझे गये उत्पादन के लिये वितरण अनुज्ञापी द्वारा भुगतान किये गये किन्ही प्रभारों को शुल्क में पास थ्रू हेतु व्यय के रूप में अनुमोदित नहीं किया जायेगा।

(6) ऊपर तय की गई, समझे गये उत्पादन की शर्ते केवल उन लघु हायड्रों परियेाजनाओं और सौर PV तथा सौर तापीय परियोजनाओं पर लागू होंगी जिन्होने वितरण अनुज्ञापी के साथ दीर्घावधि PPA पर हस्ताक्षर किये है।

इसके आतिरिक्त समझे गये उत्पादन की शर्ते केवल उन लघु हायड्रों परियेाजनाओं और PV तथा सौर तापीय परियोजनाओं पर लागू होंगी जहां निष्क्रमण लाईन 11 KV या उच्च वोल्टेज ग्रिड उप–स्टेशन से जुड़ी है।

48. <u>व्यावृत्तियॉं</u>

इस विनियमावली के अन्तर्गत कुछ भी व्यक्त या अत्यक्त रूप से आयोग को किसी विषय पर या विनियम द्वारा प्रदत्त शक्ति के निर्वाह करने से नहीं रोकेगा, जिसके लिए विनियम नही बनाये गये है एवं आयोग ऐसे मामलों, शाक्तियों एवं कर्तव्यों का, जैसा वह उचित समझे, निर्वाह करेगा।

49. <u>कठिनाईयाँ दूर करने की शक्तियाँ</u>

यदि इन विनियमों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो आयोग स्वप्रेरणा से या अन्यथा, ओदश द्वारा, ऐसे आदेश से सम्भवतया प्रभावित होने वालों को युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात कठिनाई दूर करने हेतु आवश्यक प्रतीत होने वाले ऐसे उपबंध बना सकता है जो इन विनियमों से असंगत न हों।

50. <u>शिथिलीकरण की शक्ति</u>

आयोग, स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध व्यक्ति के उसके समक्ष आवेदन पर, इन विनियमों के किसी भी उपबंध का शिथिलिकरण या परिवर्तन या इसके कारणों का लिखित अभिलेखन करने पर, कर सकता है।

1. 01.04.2013 को या उसके पश्चात् प्रवर्तन में आये (25 MW तक) एसएचपी (25 MW तक) के लिये रू0 / kWh में स्थिर प्रभारों की स्तरीकृत दर (आर एफ सी)

विवरण	5 MW तक	5 से अधिक और 15 MW तक	15 से अधिक और 25 MW तक
सकल शुल्क	4.22	4.02	3.74
घटाकर त्वरित अवक्षय	0.30	0.30	0.30
शुद्ध शुल्क	3.92	3.72	3.44

2. बायोमास आधारित ऊर्जा परियोजनाओं के लिये रू0 / kWh में स्थिर प्रभारों की स्तरीकृत दर (आर एफ सी) और परिवर्ती प्रभार

विवरण	स्थिर प्रभार की दर
सकल शुल्क	2.10
घटाकर त्वरित अवक्षय	0.10
शुद्ध शुल्क	2.00

वर्ष	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
वित्त वर्ष 2013–14 के रूप में वर्ष 1 के लिये परिवर्ती प्रभारों की दर, तत्पश्चात् 5: मानकीय वृद्धि के साथ	2.48	2.74	2.88	3.02	3.17	3.33	3.50	3.67	3.85	4.05	4.25	4.46	4.69	4.92	5.17	5.42	5.70	5.98	6.28	6.59

3. गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन परियोजनाओं के लिये रू0 / kWh में स्थिर प्रभारों की स्तरीकृत दर (आर एफ सी) और परिवर्ती प्रभार

विवरण	स्थिर प्रभार की दर
सकल शुल्क	2.85
घटाकर त्वरित अवक्षय	0.15
शुद्ध शुल्क	2.70

वर्ष	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
वित्त वर्ष 2013–14 के रूप में वर्ष 1 के लिये परिवर्ती प्रभारों की दर, तत्पश्चात् 5% मानकीय वृद्धि के साथ	2.45	2.57	2.70	2.84	2.98	3.13	3.28	3.45	3.62	3.80	3.99	4.19	4.40	4.62	4.85	5.09	5.35	5.61	5.90	6.19

4. 01.04.2013 को या उसके पश्चात् पवर्तन में आई बायोमास गैसीफायर फायर परियोजनाओं के लिये स्थिर प्रभारों की स्तरीकृत दर (आर एफ सी) एवं परिवर्ती प्रभार (रू0/kWh में)

विवरण	स्थिर प्रभारों की दर
सकल शुल्क	2.25
घटाकर त्वरित अवक्षय	0.15
शुद्ध शुल्क	2.10

वर्ष	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
वित्त वर्ष 2013—14 के रूप में वर्ष 1 के लिये परिवर्ती प्रभारों की दर, तत्पश्चात् 5% मानकीय वृद्धि के साथ	2.56	2.69	2.83	2.97	3.11	3.27	3.43	3.61	3.79	3.98	4.17	4.38	4.60	4.83	5.07	5.33	5.59	5.87	6.17	6.48

5. 01.04.2013 को या उसके पश्चात् प्रवर्तन में आई बायोगैस परियोजनाओं के लिये स्थिर प्रभारों की स्तरीकृत दर (आरएफसी) एवं परिवर्ती प्रभार (रू0/ kWh में)

विवरण	स्थिर प्रभारों की दर
सकल शुल्क	3.75
घटाकर त्वरित अवक्षय	0.25
शुद्ध शुल्क	3.50

वर्ष	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
वित्त वर्ष 2013—14 के रूप में वर्ष 1 के लिये परिवर्ती प्रभारों की दर, तत्पश्चात् 5% मानकीय वृद्धि के साथ	3.55	3.72	3.91	4.10	4.31	4.52	4.75	4.99	5.24	5.50	5.78	6.06	6.37	6.69	7.02	7.37	7.74	8.13	8.53	8.96

6. 01.04.2013 को या उसके पश्चात् प्रवर्तन में आई सौर पी वी और सौर तापीय परियोजनाओं के लिये स्थिर प्रयासोंकी स्तरीकृत दर (रू0/ kWh में)

विवरण	स्तरीकृत (संपूर्ण जीवन) (रू./ kWh)		
	सौर पीवी परियोजनाएं	सौर तापीय परियोजनाएं	ग्रिड इन्टरेक्टिव रूफ टॉप तथा लघु सौर पीवी संयंत्र
सकल शुल्क	11.10	13.30	9.20
घटाकर त्वरित अवक्षय	0.95	1.15	1.05
शुद्ध शुल्क	10.15	12.15	8.15

7. 01.04.2013 को या उसके पश्चात् प्रवर्तन में आई पवन ऊर्जा आधारित ऊर्जा परियोजनाओं के लिये स्थिर प्रभारों की स्तरीकृत दर (रू0/kWh में)

विवरण	स्तरीकृत (संपूर्ण जीवन) (रू./kWh)				
	जोन—1	जोन—2	जोन—3	जोन—4	जोन—5
सकल शुल्क	5.45	4.85	4.15	3.35	3.10
घटाकर त्वरित अवक्षय	0.45	0.40	0.35	0.30	0.30
शुद्ध शुल्क	5.00	4.45	3.80	3.05	2.80

प्रपत्र 1.1: (पवन ऊर्जा या लघु हायड्रो परियोजना या सौर पीवी/तापीय) के लिये प्रपत्र टेम्प्लेट

क्रम सं0	धारणा शीर्ष	उप-शीर्ष	उप-शीर्ष (2)	यूनिट	मूल्य
1	ऊर्जा उत्पादन	क्षमता	संस्थापित ऊर्जा उत्पादन क्षमता क्षमता उपयोगिता कारक वाणिज्यिक प्रचलन तिथि उपयोगी जीवन	MW % MM/YYYY वर्ष	
2	परियोजना लागत	पूंजीलागत/MW	मानकीय पूंजी लागत पूंजी लागत पूंजी सहायिकी, यदि कोई है शुद्ध पूंजीलागत	रू0 लाख/MW रू0 लाख रू0 लाख रू0 लाख	
3	वित्तीय धारणाएं		शुल्क अवधि	वर्ष	
		ऋण इक्विटी	ऋण इक्विटी कुल ऋण राशि कुल इक्विटी राशि	% % रू0 लाख रू0 लाख	
		ऋण घटक	ऋण राशि अधिस्थगन अवधि चुनौती अवधि (अधिस्थगन सहित) ब्याज दर	रू0 लाख वर्ष वर्ष %	
		इक्विटी घटक	इक्विटी राशि पहले 10 वर्षों के लिये इक्विटी पर प्रतिफल 17 वें वर्ष से इक्विटी पर प्रतिफल छूट दर	रू0 लाख % प्रति वर्ष % प्रति वर्ष %	
		अवक्षय	पहले 12 वर्षों के लिये अवक्षय दर 13 वें वर्ष से आगे अवक्षय दर	% %	
		प्रोत्साहन	उत्पादन आधारित प्रोत्साहन, यदि कोई है जी बी आई की अवधि	रू0 लाख प्रति वर्ष वर्ष	
4	प्रचालन अनुरक्षण	मानकीय ओ एंड एम व्यय प्रतिवर्ष ओ एंड व्ययों के लिये वृद्धि कारक		रू0 लाख /MW रू0 लाख %	
5	कामकाजी पूंजी	ओ एंड एम व्यय अनुरक्षण स्पेयर्स प्राप्ति योग्य कामकाजी पूंजी पर ब्याज	ओ एंड एम व्यय का %	माह % माह % प्रति वर्ष	

प्रपत्र—2.1: (बायोमास ऊर्जा या गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन) के लिये प्रपत्र टेम्प्लेट: मानदंड धारणायें

क्रम सं0	धारणा शीर्ष	उप–शीर्ष	उप–शीर्ष (2)	यूनिट	मूल्य
1	ऊर्जा उत्पादन	क्षमता	संस्थापित ऊर्जा उत्पादन क्षमता	MW	
			अनुषंगी उपभोग कारक	%	
			पी एल एफ (6 माह तक स्टेबिलाइजेशन की अवधि में)	%	
			पी एल एफ (स्टेबिलाइजेशन के पश्चात् पहले वर्ष में)	%	
			पी एल एफ (दूसरे वर्ष से आगे)	%	
			वाणिज्य प्रचालन तिथि	mm/yyyy	
			उपयोगी जीवन	वर्ष	
2	परियोजना लागत	परियोजना लागत/MW	मानकीय पूंजीलागत	रू0 लाख/MW	
			पूंजीलागत	रू0 लाख	
			पूंजीसहायकी, यदि कोई है	रू0 लाख	
			शुद्ध पूंजीलागत	रू0 लाख	
3	वित्तीय धारणाएं		शुल्क अवधि	वर्ष	
				%	
		ऋण इक्विटी	ऋण	%	
			इक्विटी	रू0 लाख	
			कुल ऋण राशि	रू0 लाख	
			कुल इक्विटी राशि		
				रू0 लाख	
		ऋण घटक	ऋण राशि	वर्ष	
			अधिस्थगन अवधि	वर्ष	
			चुनौती अवधि (अधिस्थगन सहित)	%	
			ब्याज दर		
				रू0 लाख	
		इक्विटी घटक	इक्विटी राशि	% प्रति वर्ष	
			पहले 10 वर्षों के लिये इक्विटी पर प्रतिफल	% प्रति वर्ष	
			11 वें वर्ष से इक्विटी पर प्रतिफल	%	
			छूट दर		
				%	
		अवक्षय	पहले 12 वर्षों के लिये अवक्षय दर	%	
			13 वें वर्ष से आगे अवक्षय दर	रू0 लाख प्रति	
		प्रोत्साहन	उत्पादन आधारित प्रोत्साहन, यदि कोई है	वर्ष	
			जी बी आई की अवधि	वष	
4	प्रचालन अनुरक्षण	मानकीय ओ एंड एम व्यय		रू0 लाख/MW	
		ओ एंड एम व्यय प्रतिवर्ष		रू0 लाख	
		ओ एंड एम व्ययों के लिये वृद्धि कारक		%	
5	कारोबारी पूंजी	ओ एंड एम व्यय		माह	
		अनुरक्षण स्पेयर्स		%	
		प्राप्ति योग्य	(ओ एंड एम व्ययों का %)	माह	
		बायोमास स्टॉक		माह	
		कारोबारी पूंजी पर ब्याज		% प्रति वर्ष	
6	ईंधन संबंधी धारणाएं	स्टेशन तापदर	स्टेबिलाइजेशन की अवधि	Kcal/kWh	
			स्टेबिलाइजेशन पश्चात्	Kcal/kWh	
		ईंधन प्रकार और मिश्रण	बायोमास ईंधन प्रकार– 1	%	
			बायोमास ईंधन प्रकार– 2	%	
			जीवाश्म ईंधन (कोयला)	%	
			बायोमास ईंधन प्रकार– 1 का जीसीवी	kCal/kg	
			बायोमास ईंधन प्रकार– 2 का जीसीवी	kCal/kg	
			जिवाश्म ईंधन (कोयला) का जीसीवी	kCal/kg	
			बायोमास मूल्य (ईंधन प्रकार –1) वर्ष 1	रू0/MT	
			बायोमास मूल्य (ईंधन प्रकार –2) वर्ष 1	रू0/MT	
			जिवाश्म ईंधन मूल्य (कोयला) वर्ष 1	रू0/MT	
			ईंधन मूल्य वृद्धि कारक	% प्रति वर्ष	

प्रपत्र 1.2– (नवन कर्जा या लघु हायड्रो परियोजना या सौर पी वी /सौर तापीय) के लिये टेम्पलेट प्रपत्र : शुल्क घटकों का अवधारण

		Year																																
यूनिट उत्पादन	यूनिट	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
संस्थापित क्षमता	MW																																			
शुद्ध उत्पादन	MU																																			

		Year																																		
यूनिट उत्पादन	यूनिट	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
ओ एंड एम व्यय	रू0 लाख																																			
अवक्षय	रू0 लाख																																			
अवधि कर्ज पर ब्याज	रू0 लाख																																			
कामकाजी पूंजी पर ब्याज	रू0 लाख																																			
इक्विटी पर प्रतिफल	रू0 लाख																																			
कुल स्थिर लागत	रू0 लाख																																			

		Year																																		
प्रति यूनिट शुल्क घटक	यूनिट	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
प्रति यूनिट ओ एंड एम व्यय	रू0 लाख																																			
प्रति यूनिट अवक्षय	रू0 लाख																																			
प्रति यूनिट आवधिक कर्ज पर ब्याज	रू0 लाख																																			
प्रति यूनिट कामकाजी पूंजी पर ब्याज	रू0 लाख																																			
प्रति यूनिट इक्विटी पर प्रतिफल	रू0 लाख																																			
कुल स्थिर प्रति यूनिट घटक	रू0 लाख																																			

		Year																																		
स्तरीकृत शुल्क	यूनिट	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
छूट कारक																																				
छूट शुल्क घटक	रू0/kWh																																			
स्तरीकृत शुल्क	रू0/kWh																																			

प्रपत्र 2.2 (बायोमास ऊर्जा या गैर जीवाश्म आधारित सह उत्पादन) के लिये प्रपत्र टेम्प्लेट : शुल्क घटकों का अवधारण

		Year																																		
यूनिट उत्पादन	यूनिट	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
संस्थापित क्षमता	MW																																			
शुद्ध उत्पादन	MU																																			

		Year																																		
शुल्क घटक (स्थिर प्रभार)	यूनिट	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
ओ एंड एम व्यय	रू0 लाख																																			
अवक्षय	रू0 लाख																																			
आवधिक कर्ज पर ब्याज	रू0 लाख																																			
कामकाजी पूंजी पर ब्याज	रू0 लाख																																			
इक्विटी पर प्रतिफल	रू0 लाख																																			
कुल स्थिर लागत	रू0 लाख																																			

		Year																																		
शुल्क घटक (परिवर्ती प्रभार)	यूनिट	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
बायोमास ईंधन प्रकार –1	रू0 लाख																																			
बायोमास ईंधन प्रकार –2	रू0 लाख																																			
जीवाश्म ईंधन (कोयला)	रू0 लाख																																			
उप–योग (ईंधन लागतें)	रू0 लाख																																			
ऊर्जा को आबंसे योग्य लागतें	%																																			
कुल ईंधन लागत	रू0 लाख																																			

		Year																																		
प्रतियूनिट शुल्क (घटक)	यूनिट	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
प्रति यूनिट ओ एंड एम व्यय	रू0/kWh																																			
प्रति यूनिट अवक्षय	रू0/kWh																																			
प्रति यूनिट आवधिक कर्ज पर ब्याज	रू0/kWh																																			
प्रति यूनिट कामकाजी पूंजी पर ब्याज	रू0/kWh																																			
प्रति यूनिट इक्विटी पर प्रतिफल	रू0/kWh																																			
प्रति यूनिट कुल स्थिर घटक (स्थिर)	रू0/kWh																																			
प्रति यूनिट कुल स्थिर घटक (परिवर्ती)	रू0/kWh																																			
प्रति यूनिट स्थिर घटक (योग)	रू0/kWh																																			

		Year																																		
स्तरीकृत शुल्क	Unit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
छूट कारक	Rs./kWh																																			
छूट शुल्क घटक (स्थिर)	Rs./kWh																																			
छूट शुल्क घटक (परिवर्ती)	Rs./kWh																																			
छूट शुल्क घटक (कुल)	Rs./kWh																																			
स्तरीकृत शुल्क (स्थिर)	Rs./kWh																																			
स्तरीकृत शुल्क (परिवर्ती)	Rs./kWh																																			
स्तरीकृत शुल्क (कुल)	Rs./kWh																																			

आयोग के आदेश से,

नीरज सती,
सचिव,
उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग।